



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256736
CG-DL-E-29082024-256736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी (एए)-03/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पोलिथाइलिन टेरैफथालेट रेसिन” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की आमेसनरोधी जांच।

फा. सं. 7 /27/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” कहा गया है) तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. **मामले की पृष्ठभूमि**

1. पाटनरोधी नियमावली के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे

यहां “संबद्ध देश” कहा गया) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और वानकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड अथवा झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे वनकई अथवा “संबद्ध निर्यातक” कहा गया है) द्वारा उत्पादित “पोलिथाइलिन टेरफथालेट रेसिन” (जिसे यहां आगे “पीईटी रेसिन” अथवा “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विलयन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

2. चीन जन.गण. से पीईटी रेसिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई। दिनांक 28 दिसंबर, 2020 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 6/24/2024-डीजीटीआर द्वारा प्राधिकारी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए पीईटी रेसिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। ये शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा लगाए गए थे। उपर्युक्त शुल्क 26 मार्च, 2026 को समाप्त हो जाएंगे। वनकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात प्रति एमटी 15.54 अमरीकी डॉलर के शुल्क के अध्यक्षीन थे जबकि अन्य निर्यातकों पर लागू शुल्क प्रति एमटी 60.92 अम.डॉलर से 200.66 अमरीकी डॉलर की रेंज में थे।
3. अधिनियम की धारा 9क (1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार, जिसमें पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का भारत में ऐसी कीमत पर अथवा ऐसी किसी शर्त पर आयात किया जाता है जिसे विद्यमान पाटनरोधी शुल्क, जिसे उससे अप्रभावी माना जाए, का विलयन माना जाता हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद पाटन मार्जिन पर क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करने के बाद शुल्क के स्वरूप और आधार में और/अथवा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के रूप में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए पर्याप्त साक्ष्य के साथ आवेदन-पत्र के आधार पर समीक्षा करें कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क, शुल्क के आमेलन के कारण अप्रभावी हो सकता है।
4. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत् सिद्ध लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और वनकई द्वारा चीन जन.गण. से निर्यातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के आमेलन से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर खुद को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी और आमेलन के प्रभाव निर्धारित करने के लिए और दिनांक 4 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. 7/27/2023-डीजीटीआर द्वारा अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और स्वरूप में संशोधन की सिफारिश करने के लिए आमेलनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने 4 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. 7/27/2023-डीजीटीआर द्वारा संबद्ध देश के संबद्ध निर्यातक वनकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड अथवा झेजियांग वनकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध आमेलनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।
 - ii. आमेलनरोधी जांच की शुरुआत के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5.5 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(4) के तहत भारत में चीन के दूतावास को पूर्व सूचना दी गई थी।
 - iii. भारत में चीन के दूतावास, संबद्ध उत्पादक/निर्यातक, वनकई, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत के संबंध में उन्हें सूचित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने संबद्ध उत्पादक/निर्यातक तथा चीन सरकार को उसके दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित में अनुरोध किया था, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - v. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में संबद्ध उत्पादक/निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आमेलनरोधी जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर (बढ़ाई गई समय सीमा सहित) निर्धारित

स्वरूप और तरीके में प्रश्नावली का उत्तर दायर करने और नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने के लिए अवसर प्रदान किया।

- vi वनकाई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर दे दिया है।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की प्रति भेजी:

- क. वरुण बिबरेज लिमिटेड
- ख. गणपति फिशिंग लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. विनय प्लास्टिक्स
- घ. केबिस्को प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. आरजीपी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- च. गुडवे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- छ. जेवरुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- ज. नेशनल पोलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- झ. डी पी इंटरप्राइजेज
- ञ. ताराज्योत पोलिमर्स लिमिटेड
- ट. आर के ट्रेडिंग कंपनी
- ठ. रूपटेक्स मिनरल्स वाटर प्राइवेट लिमिटेड
- ड. ट्राइकोन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. मयूर स्ट्रैप्स पैकेजिंग इंडस्ट्रीज
- ण. रेडी पैकेज
- त. संजय केमिकल्स आई प्राइवेट लिमिटेड
- थ. नोबल एक्जिम
- द. ए सी ए पोलिमर्स
- ध. एस एल वी पेट इंडस्ट्रीज
- न. वोल्टसन इंडिया
- प. हितैशी क्रिएटिव इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
- फ. जैनसन केबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ब. मधु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- भ. अयुम सिंटेक्स लिमिटेड
- म. प्रवीन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- य. ओसवाल इंटरनेशनल
- कक. ग्लोरी इंडस्ट्रीज
- खख. अन्नपूर्णा पेट प्राइवेट लिमिटेड
- गग. यू डी कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
- घघ. ओराकल पोलिप्लास्ट

- ड.ड. श्रीनाथ रोटोपैक प्राइवेट लिमिटेड
- च.च. आरकेजी पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- छ.छ. अमृत पोलिकेम प्राइवेट लिमिटेड
- ज.ज. एसपीसी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
- झ.झ. वाटरप्रूफ कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- ञ.ञ. आर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- ट.ट. क्रिस्टल्स इम्पैक्स
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना के परिचालन और मांग के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- क. आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ख. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
- ग. एसोसिएटेड चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
- घ. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- ix. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए।
- x. जांच की शुरुआत की अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति 14 मार्च, 2024 को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई थी। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- xi. आमेलन अवधि 1 जनवरी, 2023 से 30 सितंबर 2023 (9 माह) मानी गई थी। प्राधिकारी ने उस अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की जांचावधि में कीमतों से की।
- xii. जांच की अवधि के लिए और पूर्व के तीन वर्षों के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़े डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए और निर्यातक द्वारा दायर उत्तरों की तुलना और समाधान के लिए डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास किया।
- xiii. आवेदकों और उत्तरदाता निर्यातकों से आवश्यक मानी गई सीमा तक अन्य सूचना मांगी गई थी।
- xiv. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उनके द्वारा दायर उनके अनुरोधों/उत्तरों/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।
- xv. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की निर्माण लागत और बिक्री लागत तथा ईष्टम उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। यह क्षति रहित कीमत यह सुनिश्चित करने के लिए मानी गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 मई, 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- xvii. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्क और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर साक्ष्य से समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

- xviii. जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की परिशुद्धता से खुद को संतुष्ट किया जो यथा संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है तथा संगत और आवश्यक मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- xix. प्राधिकारी ने दायर उत्तर में कमियों और प्रश्नों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 15 जुलाई, 2024 को पत्र जारी किया। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 18 जुलाई, 2024 को उत्तर दे दिया है। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उस पर विचार किया है।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- xxi. प्राधिकारी ने 5 अगस्त 2024 को सभी इच्छुक पार्टियों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटीकरण विवरण परिचालित किया। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरणों पर टिप्पणियों पर, जहां तक संगत पाया गया है, अंतिम निष्कर्ष में विचार किया गया है।
- xxii जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान सूचना से इंकार किया है अथवा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।
- xxiii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना दर्शाते हैं और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=83.32 रुपये है।

ग. विभिन्न मुद्दों पर संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध

6. जांच प्रक्रिया के दौरान वानकई न्यू मैटिरियल्स कं. लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

समीक्षा का क्षेत्र

- i. किसी आमेलनरोधी जांच की शुरुआत किसी देश अथवा देशों के विरुद्ध ही की जा सकती है न कि किसी विशिष्ट निर्यातक के विरुद्ध।
- ii. घरेलू उद्योग के तर्क के विरुद्ध नियम 29(1) में प्रयुक्त “एक” शब्द का निर्वचन सत्याभासी नहीं है। यदि नियमों का इरादा ऐसा था तो फिर “कोई निर्यातक” शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था और “देश/देशों” शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि यह निर्वचन दिया जाता है तो फिर एक से अधिक निर्यातक के विरुद्ध जांच की शुरुआत कभी संभव नहीं होगी।
- iii. नियम 19 में सभी आयातों पर गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है और इस प्रकार, चुनिंदा निर्यातक के विरुद्ध शुल्क लगाए जाने की अनुमति नहीं है। चीन में कई उत्पादक हैं और भारत में लगभग 50% आयात वनकई को छोड़कर अन्य उत्पादकों से हैं।
- iv. विलयन है अथवा नहीं, इसका निर्धारण केवल धारा 9क(1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में ही किया जाता है और धारा 9क(1) के तहत यह शुल्क पूरे देश के विरुद्ध लगाया जाता है। नियम 29(1) सीमा प्रशुल्क अधिनियम प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकता और यदि कोई असंगतता है तो मूल कानून के प्रावधान विद्यमान रहेंगे।
- v. “ईसी और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी” नामक हैंडबुक में यह उल्लेख है कि आमेलनरोधी प्रक्रिया कुछ निर्यातकों तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें देश में उत्पाद के सभी आयात शामिल हैं।
- vi. यूरोपीय आयोग के जांच परिणाम भी यह दर्शाते हैं कि आमेलनरोधी जांच समग्र रूप से किसी देश के विरुद्ध ही शुरू की जा सकती है।

- vii. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत केवल वनकाई के विरुद्ध जांच शुरू किया जाना उसके हितों के प्रति पूर्वाग्रही है।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात आधार मध्यावधि समीक्षा जांच की विषय-वस्तु है न कि आमेलनरोधी जांच की।
- ix. चूंकि यह जांच एक ही निर्यातक के आयातों के विरुद्ध शुरू की गई है, अतः घरेलू उद्योग का यह आरोप कि वनकाई द्वारा उत्पादित सामान अन्य असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भी निर्यातित किए जाते हैं, की जांच नहीं की जा सकती।
- x. वनकाई ने किसी भी व्यापारी को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं की और सीधे ही भारत को उत्पाद का निर्यात किया।
- xi. ग्रेड डब्ल्यूके-801 वनकाई का एक उत्पाद कोड है जिसका प्रयोग एक प्रकार के उत्पाद की पहचान करने और उसे अन्य किस्मों से अलग करने के लिए किया गया है। “डब्ल्यूके-801” नाम का ग्रेड एक पंजीकृत नाम नहीं है और विशिष्ट ब्रांड नाम नहीं है। अन्य निर्यातक वनकाई की जानकारी के बिना अपने उत्पाद के लिए “डब्ल्यूके-801” नाम का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

गोपनीयता

- xii. घरेलू उद्योग ने वनकाई द्वारा निर्यातों की मात्रा और कीमत निर्यातक से ही गोपनीय होने का दावा किया है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने वनकाई से आयातों के संबंध में सूचना के स्रोत को प्रकट नहीं किया है। यहां तक कि क्षमता में वृद्धि, चीन से कुल आयात, वनकाई से आयात, कच्ची सामग्री पीटीए और एमईजी कीमत, वनकाई का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में साक्ष्य को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने ग्रेड नाम के साथ आयात लेन-देनों के नमूना विवरण पर विश्वास किया है। सूचना के स्रोत तक पहुंच और पूर्ण सूचना के अभाव में निर्यातक उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

आमेलन के साक्ष्य

- xv. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र कमीपूर्ण है और उसमें पाटनरोधी शुल्क के आमेलन के संबंध में साक्ष्य और सूचना का अभाव है।
- xvi. वनकाई से पहुंच कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण है।
- xvii. आईएनआर के मूल्य में जांच के मूल एवं वर्तमान अवधि के बीच 16% तक मूल्यह्रास हुआ है। यूरोपीय आयोग ने सोडियम साइक्लोमेट पर आमेलनरोधी जांच को रद्द किया क्योंकि मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण निर्यात कीमत में गिरावट थी।
- xviii. समायोजित क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का प्रथमदृष्टया विश्लेषण करने की आवश्यकता थी परंतु आवेदन-पत्र में ऐसा विवरण नहीं है।
- xix. विलयन निर्धारित करने के लिए निर्यात कीमत के समायोजन की आवश्यकता है। मूल और वर्तमान जांचावधि के बीच चीन येन (सीएनवाई) के मूल्यह्रास, भारतीय रुपये (आईएनआर) के मूल्यह्रास और भारत को निर्यातित उत्पाद मिक्स के अनुपात में परिवर्तन के समायोजन की आवश्यकता है। ऐसे समायोजन करने के बाद वनकाई की निर्यात कीमत में कोई गिरावट नहीं है।
- xx. घरेलू उद्योग ने अम.डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए वास्तविक विनिमय दर पर विचार न किए जाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है क्योंकि क्षति रहित कीमत और पहुंच मूल्य विभिन्न देशों में है, अतः उनमें से एक को आवश्यक रूप से क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए अन्य देश में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- xxi. वनकाई के लिए क्षति मार्जिन कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के संबंध में क्षति रहित कीमत समायोजित करने के बाद वर्तमान जांच में नकारात्मक है।

- xxii. विलयन का निर्धारण वर्तमान विलयन अवधि के बीच की अवधियों के संबंध के बिना मूल जांच की जांचावधि के साथ तुलना की जानी चाहिए।
- xxiii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से किए गए निर्यातों की मात्रा उपलब्ध कराई है, तथापि उसने यह दर्शाने के लिए उसकी कीमतें नहीं दी हैं कि अप्रत्यक्ष निर्यातों की कीमत प्रत्यक्ष निर्यातों की कीमत से कम थी।

आवेदन पत्र दायर करने में विलंब से संबंधित विशेष परिस्थितियां

- xxiv. घरेलू उद्योग के लिए यह अपेक्षित है कि वे विशेष परिस्थितियां दर्शाएं जिनसे आवेदन-पत्र दायर करने से रुकें न कि 2 वर्ष बाद दायर करने के आधार। नियम 29(3) में “विशेष परिस्थितियां” का अर्थ वही होना चाहिए जो नियम 30(7) में है।
- xxv. घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित आधार औचित्य पूर्ण नहीं हैं क्योंकि वनकाई ने कोई क्षमता विस्तार नहीं किया है अथवा क्षमता में वृद्धि के कारण अपना उत्पाद स्वरूप नहीं बदला है।
- xxvi. यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वनकाई से आयात चीन से कुल आयातों के लगभग ***% है तथापि वे केवल ***% हैं। आयातों में वृद्धि विशेष परिस्थिति नहीं हो सकती जिससे आमेनरोधी जांच शुरू करना आवश्यक हो।
- xxvii. यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार किया जाए तो वनकाई से आयात जांच की मूल अवधि के दौरान चीन से आयातों का केवल ***% है और उन्हें काफी नहीं माना जा सकता।
- xxviii. वेबसाइट पर प्रदर्शित क्षमता वनकाई और उसकी सहायक कंपनी चोंगकाई वनकाई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए है जिसने 2020 में उत्पादन शुरू किया।
- xxix. आयातों में वृद्धि की तुलना मूल जांच की जांचावधि से की जानी चाहिए और किसी अन्य अवधि का संदर्भ संगत नहीं है।

घ. विभिन्न मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

समीक्षा का क्षेत्र

- i. यह आवेदन-पत्र केवल वनकाई से आयातों के विरुद्ध दायर किया गया है। अकेले उत्पादक के विरुद्ध जांच करने के लिए नियमावली के तहत कोई रोक नहीं है।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विरोध में आमेनरोधी जांच कंपनी विशिष्ट है जो नियम 29(1) में “पाटनपरोधी शुल्क” से पूर्व प्रयुक्त “एक” शब्द से सिद्ध है।
- iii. चूंकि विभिन्न उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क अलग अलग है, अतः प्रत्येक उत्पादक का व्यवहार भिन्न है और उन्हें साथ नहीं मिलाया जा सकता।
- iv. नियम 29(3) निर्यातकों सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार को शुल्कों के विलयन के विरुद्ध आवेदन-पत्र दायर करने की अनुमति देता है। यदि परिणाम यह है कि आमेनरोधी जांच किसी देश के विरुद्ध ही शुरू की जा सकती है तो इससे निर्यातक अपने विरुद्ध आवेदन-पत्र दायर करेगा।
- v. नियम 30 में यह उल्लेख है कि आमेनरोधी जांच प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की जा सकती है। यदि नियमों में यह निष्कर्ष है कि आमेनरोधी जांच किसी संबद्ध देश के विरुद्ध ही शुरू की जा सकती है तो आवेदक प्रथमदृष्टया साक्ष्य देने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि अकेले आयातक द्वारा आमेन अन्य निर्यातकों द्वारा शुल्कों का विलयन न करके अनदेखा किया जा सकता है।
- vi. यदि शुल्क बहुत से देशों पर लगाया जाता है तो एक संबद्ध देश से एक निर्यातक द्वारा आमेन सभी संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरी तरह छिपाया जाएगा।
- vii. नियमावली में “कीमतें” शब्द का प्रयोग एक निर्यातक से बहुत से आयात लेन-देनों की कीमत संदर्भित करता है जो नियम 18 के तहत उसी शब्द के प्रयोग की तरह है। यहां तक कि नियम 18(iii) में “पाटित

कीमतों” का संदर्भ है जिसका अर्थ उसी निर्यातक से बहुत से लेन-देनों की मौजूदगी है। इसी प्रकार, अनुबंध I में एक उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य के संदर्भ में “कीमतों” का उल्लेख है और अनुबंध-II में एक घरेलू उद्योग की “कीमतों” का उल्लेख है। अनुच्छेद 2.4.2 और अनुबंध I के पैरा 7 में भी अकेले निर्यातक के संदर्भ में कीमतों का उल्लेख है।

- viii. वर्तमान जांच व्यावहारिक रूप से चीन से सभी आयातों के विरुद्ध है क्योंकि चीन से 87% आयात संबद्ध निर्यातक से है।
- ix. यद्यपि आमेलेनरोधी जांच समग्र रूप से देश के विरुद्ध की जा सकती है, तथापि विलयन एक निर्यातक विशिष्ट व्यवहार है और यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या अकेला निर्यातक विलयन में शामिल है अथवा वह संबद्ध देशों में सभी उत्पादकों के लिए है।
- x. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का विरोध किया गया है, वर्तमान समीक्षा नियम 19 के तहत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 19 की अपेक्षा का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा गैर भेदभाव पूर्ण आधार पर लगाया गया था। यहां तक कि पाटनरोधी जांच अकेले निर्यातक से आयातों के विरुद्ध की जा सकती है। यूरोपीय संघ और तुर्की ने अलग अलग निर्यातकों से उत्पाद के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की है जिसमें वे निर्यातक मूल जांच में पाटन न करते हुए पाए गए थे।
- xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत कि विलयन पूरे देश के विरुद्ध धारा 9क(1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विरुद्ध ही हो सकता है, यह निर्वचन प्राधिकारी को मध्यावधि समीक्षा और न्यू शिपर समीक्षाएं करने से रोकेगा।
- xii. “ईसी और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी” नामक हैंडबुक का मत है न कि कानूनी सिद्धांत।

गोपनीयता

- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय होने के लिए दावा की गई सूचना या तो व्यापार स्वामित्व सूचना है अथवा तीसरे पक्षकार से सूचना पर आधारित है जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक प्राधिकृत नहीं हैं।
- xiv. यद्यपि वनकाई ने कच्ची सामग्री के संबंध में सूचना का दावा किया है, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, तथापि उन्होंने अपने उत्तर में, उस सूचना को प्रकट नहीं किया है।

पाटनरोधी शुल्क का आमेलेन

- xv. वनकाई ने लागू पाटनरोधी शुल्क का विलयन किया है।
- xvi. संबद्ध देश से अन्य निर्यातकों से आयातों की मात्रा कम है और आयातों की कीमत बढ़ी हैं।
- xvii. वनकाई से आयात कीमत मूल जांचावधि की तुलना में वर्तमान जांचावधि में कम हुई है।
- xviii. यद्यपि उत्पादन लागत में कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट के कारण गिरावट आई है तथापि पहुंच कीमत में उत्पादन लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई है।
- xix. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विरोध किया गया है, आवेदकों ने आवेदन-पत्र में पाटनरोधी शुल्क के विलयन का प्रथमदृष्टया साक्ष्य दिया था जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई।
- xx. विलयन को अम.डॉलर में देखा जाना है न कि भारतीय रुपये अथवा सीएनवाई में क्योंकि निर्यातक ने भारतीय रुपये अथवा सीएनवाई में व्यापार का लेन-देन नहीं किया अथवा उत्पाद का निर्यात नहीं किया और ग्राहक ने भारतीय रुपये अथवा सीएनवाई में भुगतान नहीं किया। आयात से संबंधित पूरा लेन-देन भारतीय रुपये में है।
- xxi. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विरोध किया गया है, सोडियम साइक्लोमेट में यूरोपीय आयोग ने जांच रद्द की क्योंकि अमरीकी डॉलर में कीमतें होने पर उन्होंने निर्धारित किया कि कोई आमेलेन नहीं है। विरोधाभास से वर्तमान जांच में चीन से आयात अमरीकी डॉलर में है जिसका मूल्यहास नहीं हुआ है।

- xxii. उत्पाद मिश्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मूल जांच में पीसीएन का दावा नहीं किया और इस प्रकार निर्यातक वर्तमान जांच में उत्पाद मिश्र में अंतर का दावा नहीं कर सकता।
- xxiii. घरेलू उद्योग ने वनकाई के लिए क्षति मार्जिन का विस्तृत परिकलन दिया है और वह सकारात्मक और काफी है।

आवेदन पत्र दायर करने में विलंब से संबंधित विशेष परिस्थितियां

- xxiv. दो वर्ष की समाप्ति के बाद आवेदन-पत्र दायर करने के विवशकारी कारण थे क्योंकि वनकाई ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए नई क्षमताएं स्थापित की हैं। यद्यपि वनकाई कम गुणवत्ता में उत्पादन और निर्यात कर रहा था तथापि वनकाई से आयात नई क्षमताएं शुरू करने के बाद काफी बढ़े हैं।
- xxv. वनकाई द्वारा दी गई सूचना के विरोध में टेकनॉन आर्बिकिम रिपोर्ट और वुड मेकेंजी रिपोर्ट जैसे सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यह दर्शाते हैं कि वनकाई ने क्षमता विस्तार किया है।
- xxvi. वनकाई द्वारा दायर सूचना के विपरीत उसका एक संबद्ध पक्षकार चोंगकिंग वनकाई न्यू मैटरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है जो संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगा है। वनकाई ने चोंगकिंग प्रोविंस में क्षमता वृद्धि की है।
- xxvii. जैसा कि वनकाई की वेबसाइट से सिद्ध है, वे 2 कंपनियों को पृथक कानूनी कंपनियां नहीं मानते और केवल यह उल्लेख करते हैं कि वनकाई के 2 संयंत्र हैं।
- xxviii. वनकाई से आयात जांचावधि में बढ़े हैं और 2022-23 की तुलना में दोगुना से अधिक हैं।
- xxix. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विरोध किया गया है, आवेदन-पत्र दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व दायर नहीं किया गया था क्योंकि कोई भी उत्पादक इस अवधि में पाटनरोधी शुल्क का विलयन नहीं कर रहा था।
- xxx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इन आधारों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है जो वर्तमान जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। केवल क्योंकि पुनः मात्राकरण मध्यावधि समीक्षा में अनुमति योग्य है, अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि वर्तमान आधार केवल मध्यावधि समीक्षा के लिए लागू है।
- xxxi. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विरोध किया गया है, मूल पाटनरोधी शुल्क में वनकाई से आयातों की काफी मात्रा नहीं है। किसी भी दशा में वनकाई से आयात 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में ***% तक बढ़े हैं।

अन्य मुद्दे

- xxxii. वनकाई ने अपने उत्तर में सूचना छिपाई है क्योंकि उन्होंने क्षमता विस्तार के संबंध में सूचना नहीं दी है।
- xxxiii. वनकाई ने उल्लेख किया है कि उसने भारत को सीधे ही उत्पाद का निर्यात किया है परंतु भारत में उसके आयातों का ***% उन असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से है जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- xxxiv. असंबद्ध व्यापारी द्वारा आयातों के विवरण में “डब्ल्यूके-801” का उल्लेख है जो वनकाई द्वारा उत्पादित ग्रेड है। यदि ये आयात वनकाई पर लागू पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद स्वीकृत किए गए हैं और वनकाई यह दावा करता है कि ये आपूर्तियां उसके द्वारा नहीं की गई हैं तो डीजीटीआर इस मामले को डीआरआई को भेज सकता है क्योंकि यह पाटनरोधी शुल्क की भारी मात्रा में प्रवंचना सिद्ध करता है।
- xxxv. चूंकि मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वनकाई ने पूरा उत्तर दायर किया है।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

ड.1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. वर्तमान आमेलनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद “वर्जिन पॉली इथिलीन टेरैफ्थैलेट (पीईटी) रेसिन” है जिसे पॉलिथीन टेरैफ्थैलेट रेसिन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आंतरिक विस्कॉसिटी प्रतिग्राम 0.72

डेसीलीटर या उससे अधिक है। उत्पाद का दायरा वहीं है जैसा मूल जांच में बताया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रिसाइकिल किया गया पीईटी रेसिन शामिल नहीं है।

9. विचाराधीन उत्पाद को उप-शीर्ष 3907 के तहत अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ मद सं. 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90 के तहत आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. मूल जांच में यह प्रकट किया गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित किए गए माल और संबद्ध देश से निर्यात किए गए माल में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों की मापदंडों के संदर्भ में जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद संबंधी विशेषताएं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय पाए गए हैं। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को वानकाई से आयातित संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ड.2. पुनरीक्षा का दायरा

11. वर्तमान पुनरीक्षा अधिनियम की धारा 9क(1ख) और पाटन रोधी नियमावली के नियम 30 के अनुसरण में आरंभ की गई थी। वर्तमान पुनरीक्षा चीन जन.गण. से वानकाई न्यू मेटीरियल्स कं. लिमि. या झेजियांग वानकाई न्यू मेटीरियल्स कंपनी लिमि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण की विद्यमानता और प्रभाव का निर्धारण करने और यदि आवश्यक हो तो, पाटनरोधी शुल्क की मात्रा या स्वरूप के संशोधन की सिफारिश करने के लिए आरंभ की गई थी।
12. आवेदकों ने वानकाई न्यू मेटीरियल्स कं. लिमि. अथवा झेजियांग वानकाई न्यू मेटीरियल्स कं. लिमि. द्वारा पाटन रोधी शुल्क के अवशोषण के संबंध में उनके आवेदन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदकों ने मूल जांच में जांच की अवधि की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि में उत्पादन की लागत में आनुपातिक गिरावट के बिना वानकाई से विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कोई आमेलन-रोधी जांच केवल समग्र रूप से किसी संबद्ध देश के विरुद्ध आरंभ की जा सकती है न कि किसी एकल निर्यातक से आयातों के विरुद्ध। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच केवल चीन जन.गण. से वानकाई से आयातों के विरुद्ध आरंभ की गई थी। पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(1) में निम्नानुसार कहा गया है।

“नियम 29- आमेलन-रोधी पुनरीक्षा- (1) अधिनियम की धारा 9 के तहत लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क को अवशोषित माना जा सकता है, जब निर्यातक देश अथवा देशों से किसी वस्तु की निर्यात कीमतों में ऐसी वस्तु के उत्पादन की लागत में किसी अनुरूपी परिवर्तन के बिना पाटन रोधी शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात अथवा भारत के अलावा अन्य देशों को ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत अथवा निर्यातक देश या देशों से आयातित ऐसी वस्तु की भारत में पुनर्विक्री कीमत में कमी आती है।”

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी मूल जांच में, ऐसे उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर के अनुसार सभी सहयोगी उत्पादकों के लिए प्राधिकारी पृथक पाटनरोधी शुल्क निर्धारित करते हैं यदि ऐसा उत्तर पूर्ण और सटीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी अवशिष्ट शुल्क भी निर्धारित करते हैं। जो सभी असहयोगी और गैर-प्रतिभागी उत्पादकों के लिए प्रयोज्य हैं। इस प्रकार, मूल जांच में विभिन्न उत्पादकों पर विभिन्न पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाते हैं। नियम 29 धारा 9ख के तहत किसी पृथक उत्पादक पर लागू किसी “एक” पाटनरोधी शुल्क का उल्लेख करता है।
15. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नियम 29 में “निर्यात कीमतों” की समान निर्यातक द्वारा विभिन्न सौदों की निर्यात कीमत के रूप में व्याख्या, की जानी चाहिए। इस तथ्य से साक्ष्य है कि शब्द “कीमतों” की व्याख्या पाटनरोधी नियमों के तहत, कई निर्यातकों की कीमतों के रूप में करने से कई प्रावधानों का उद्देश्य विफल हो जाएगा। “कीमतें” शब्द नियम 29 में समान निर्यातक से बहुत से एकाधिक सौदों के संदर्भ में है न कि बहुत से निर्यातकों से सौदों के संदर्भ में। चूंकि, विभिन्न कीमतों के साथ बहुत से निर्यात सौदे किए गए हैं, नियम 29 में शब्द “कीमतों” का प्रयोग किया गया है। नियम 18(3) में शब्द “कीमतों” के प्रयोग से भी यह साक्ष्य है जो “पाटित

कीमतों" को संदर्भित करता है, पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-I जो सामान्य मूल्य के संदर्भ में "कीमतों" का उल्लेख करता है, जो व्यक्ति विदेशी उत्पादक के लिए प्रासंगिक है, अनुबंध-I का पैरा 7 किसी व्यक्ति विदेशी उत्पादक के संदर्भ में "कीमतों और "लागतों" का उल्लेख करता है और अनुबंध-II एकल घरेलू उद्योग की "कीमतों" को संदर्भित करता है।

16. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का अवशोषण एक उत्पादक-विशिष्ट व्यवहार है, जो ऐसे उत्पादकों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की राशि पर भी निर्भर करता है। जहां, संबद्ध देश से कुछ उत्पादक शुल्कों का अवशोषण कर सकते हैं, कुछ ऐसा करने से परहेज कर सकते हैं। चूंकि, प्रत्येक उत्पादक पर लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क भिन्न है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अवशोषण भी भिन्न होगा।
17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके द्वारा अभिप्रेरित उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियमों की व्याख्या की जानी चाहिए। पाटनरोधी नियमों का नियम 29(3) निम्नानुसार बताता है:

"(3) घरेलू उद्योग अथवा कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से सामान्यतः दो वर्षों के भीतर आमेसन-रोधी जांच की शुरुआत करने की मांग करते हुए आवेदन दायर करेगा।"

पाटनरोधी- नियमावली के नियम 2(ग) में हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में निम्नानुसार कहा गया है:

"(ग) "हितबद्ध पक्षकार" में ये शामिल हैं:

- i. भारत में पाटित किए जाने के कारण जांचाधीन किसी वस्तु का कोई निर्यातक अथवा कोई विदेशी उत्पादक अथवा आयातक अथवा कोई व्यापारी अथवा व्यापार संघ जिसके अधिकतर सदस्य ऐसी किसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हैं;
- ii. निर्यात करने वाले देश की सरकार; और
- iii. भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक अथवा किसी व्यापार और व्यापार संघ, जिसके अधिकतर सदस्य भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हैं।

नियम 29(3) और नियम 2(ग) को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार, जिसमें उत्पाद के विदेशी उत्पादक अथवा निर्यातक शामिल हैं, पाटनरोधी शुल्क के कथित आमेसन के विरुद्ध एक आवेदन दायर कर सकते हैं। यदि यह माना जाता है कि किसी संबद्ध देश के विरुद्ध आमेसन रोधी जांच आरंभ की जा सकती है, तो इससे नियम 29(3) का महत्वपूर्ण हिस्सा निरर्थक हो जाएगा। ऐसी व्याख्या किए जाने के मामले में, कोई निर्यातक या विदेशी उत्पादक किसी अन्य विदेशी उत्पादक/निर्यातक द्वारा शुल्कों के अवशोषण के विरुद्ध आवेदन दायर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे आवेदन के कारण स्वयं आवेदक निर्यातक के विरुद्ध जांच की शुरुआत हो जाएगी। अतः यह व्याख्या कि कोई आमेसन रोधी जांच समग्र रूप से केवल किसी देश के विरुद्ध ही आरंभ की जा सकती है, मुमकिन नहीं है और ऐसी व्याख्या नियमावली के उद्देश्य को समाप्त कर देगी।

18. ऐसे अनुरोधों के संबंध में कि, नियम 19 के तहत किसी एक चुनिंदा निर्यातक के विरुद्ध शुल्क को लागू किया जाना अनुमेय नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच पाटनरोधी नियमों के नियम 29, नियम 30 और नियम 31 के तहत की जा रही है। जहां नियम 6 वर्तमान जांच के लिए प्रयोज्य है, वहां नियम 19 लागू नहीं होता। नियम 19 की अनिवार्यताओं के अनुसार गैर-भेदभाव पूर्ण आधार पर संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। अतः प्राधिकारी ने पहले ही नियम 19 की अनिवार्यताओं को पूरा कर दिया है और यह वर्तमान जांच के लिए लागू नहीं होता। प्राधिकारी ने पहले ही एक पृथक व्यक्ति उत्पादक के विरुद्ध सीमित मध्यावधि समीक्षा और एक नयी शिपर समीक्षा भी आयोजित की है, अतः किसी पृथक उत्पादक पर एक अवशोषण रोधी समीक्षा आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने एक "ईसी और डब्ल्यू टी ओ एंडी-डंपिंग" शीर्षक से एक पुस्तिका उपलब्ध कराई है, जिसमें कहा गया है कि आमेसन -रोधी जांचे किसी संबद्ध देश के विरुद्ध की जाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त पुस्तिका और उस पुस्तिका में दिये गये पाठ का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है बल्कि सिर्फ लेखकों की अपनी राय है।
20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यूरोपियन कमीशन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं और यह निवेदन किया है कि ऐसे निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आमेसन-रोधी जांच कुल-मिलकर किसी देश के विरुद्ध ही की जाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई आमेलेन रोधी जांच कुल मिला कर किसी देश के विरुद्ध आरंभ की जा सकती है। तथापि, ऐसी कोई जांच शुरुआत केवल ऐसे मामले में संभव है जहां पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण में संबद्ध देश से सारे अथवा कम से कम अधिकतम निर्यातक शामिल हैं। किसी व्यक्तिगत उत्पादक/निर्यातक के विरुद्ध आमेलेन रोधी जांच की शुरुआत करने के विरुद्ध कोई नियमों में कोई रोक नहीं है। वर्तमान मामले में, चूंकि केवल एक व्यक्तिगत उत्पादक के लिए अवशोषण के प्रथम-दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थे, प्राधिकारी ने उस एक उत्पादक के विरुद्ध मामले की शुरुआत की है।

21. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा चिन्हित किए गए आधार आमेलेन-रोधी जांच के लिए भी लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में, जहां किसी निर्यातक द्वारा किए गए आमेलेन के कारण शुल्क का पुनः परिमाणीकरण आवश्यक है तो मांगी जाने वाली उचित राहत के रूप में एक आमेलेन-रोधी जांच की शुरुआत होगी। यदि प्रत्येक मामले में मध्यावधि समीक्षा की मांग की जाएगी तो यह शुल्क के आमेलेन का पता लगाने के लिए आरंभ किए गए प्रावधानों के प्रत्येक उद्देश्य को समाप्त कर देगी।

ड.3. गोपनीयता

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप से या सारांश रूप से प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

23. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी द्वारा जहां भी आवश्यक था, द्वारा गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया, और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

ड.4. आवेदन दायर करने के लिए विशेष परिस्थितियां-

24. पाटनरोधी नियमों के नियम 29(3) में निम्नानुसार कहा गया है:

“(3) घरेलू उद्योग अथवा कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से सामान्यतः दो वर्षों के भीतर आमेलेन-रोधी जांच की शुरुआत किए जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर कर सकता है;

बशर्ते कि किसी विशेष मामले में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी दो वर्षों की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात ऐसी जांच की शुरुआत के लिए किसी आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं;

बशर्ते आगे किसी भी मामले में ऐसे किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के लिए बाकी बची अवधि 12 महीने से कम हो।”

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मूल पाटनरोधी शुल्क दिनांक 27 मार्च, 2021 को लगाया गया था। आवेदकों ने आवेदन दायर करने में विलंब के लिए निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया है:
- वानकाई ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई क्षमताएं स्थापित की हैं। ऐसी क्षमताओं के आरंभ होने के पश्चात, उत्पादक ने प्रवृत्त पाटन रोधी शुल्क का अवशोषण करना आरंभ कर दिया।
 - दिनांक 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में वानकाई से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विगत में उत्पादक द्वारा पाटन-रोधी शुल्क का कोई अवशोषण नहीं किया गया है और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा एक आमेलन -रोधी जांच के लिए प्राधिकारी को संपर्क करने का कोई कारण नहीं था। प्राधिकारी ने जांच की अवधि में आयातों की मात्रा का आकलन किया है और पिछले वर्षों की मात्रा से इसकी तुलना की है।

विवरण	इकाई	ओआई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)	पीओआई
वानकाई सेआयात	मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	88	140	416	312

डीजी सिस्टम्स आंकड़ों के अनुसार

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानकाई से जांच की अवधि में वार्षिकीकृत आयातों की मात्रा में 2022-23 की तुलना में 197%, 2021-22 की तुलना में 370% और 2020-21 की तुलना में 311% वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, मूल जांच की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि में आयातों में 315% की वृद्धि हुई है।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानकाई का कहना है कि इसने क्षमता का विस्तार नहीं किया है। तथापि, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, वानकाई की एक संबधित पक्षकार है अर्थात् चोंगकिंग वानकाई न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लिमि. जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है। रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, वानकाई ने चोंगकिंग डिस्ट्रिक्ट में क्षमता विस्तार को किया है। घरेलू उद्योग का दावा है कि यह क्षमता विस्तार हाल की अवधि में वानकाई से बड़े हुए आयातों का कारण है और इसी कारण निर्यातक ने इस अवधि के दौरान शुल्क के अवशोषण का आश्रय लिया है। निर्यातक ने दिनांक 18 जुलाई, 2024 की ई-मेल में यह स्पष्ट किया है कि चोंगकिंग वानकाई एक संबंधित कंपनी है जिसने वर्ष 2020 में विनिर्माण आरंभ किया था और 12,00,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता के साथ उत्पादन श्रृंखला की स्थापना की थी। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्यातक ने पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात क्षमता विस्तार को अपनाया है।
29. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से 2 वर्षों के समाप्त होने के बाद अवशोषण-रोधी जांच के लिए आवेदन देने के औचित्य को सिद्ध करते हुए विशेष परिस्थितियों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

ड.5. पाटनरोधी शुल्क का आमेलन

30. पाटनरोधी नियमों का नियम 29(1) इस प्रकार है-

"नियम 29- आमेलन रोधी समीक्षा-(1) अधिनियम की धारा 9क के तहत लागू किए गए किसी पाटनरोधी शुल्क को अवशोषित माना जा सकता है जब निर्यातक देश अथवा देशों से ऐसी वस्तु की निर्यात कीमतों में पाटनरोधी शुल्क को लगाने के पश्चात कमी आ जाती है, तब भी ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की लागत में या भारत के अलावा अन्य निर्यातक देश अथवा देशों से आयातित भारत में ऐसी वस्तु के पुनर्विक्री मूल्य में कोई आनुपातिक परिवर्तन नहीं होता है।"

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत में आनुपातिक गिरावट के बिना वानकाई से आयातों की कीमतों में कमी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानकाई न्यू मेटिरियल्स कं. लिमि. द्वारा एक उत्तर दायर किया गया है। रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, वानकाई न्यू मेटिरियल्स कं. लिमि. की एक संबंधित पक्षकार है अर्थात् चोंगकिंग वानकाई न्यू मेटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लिमि. जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्रियों में संलग्न है। हालांकि, संबंधित पक्षकार वर्तमान जांच में एक उत्तर दायर करने में असफल रहा है। अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कहा है कि चोंगकिंग वानकाई को वर्तमान जांच में उत्तर दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसने भारत को ट्रेडर्स के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और वानकाई ने वर्तमान जांच में बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकार का कहना है कि चोंगकिंग वानकाई अवशिष्ट शुल्कों के अधीन है और यह स्थिति आमेलन रोधी जांच के बाद भी प्रभावी रहेगी।
33. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वानकाई न्यू मेटिरियल्स कं. लिमि. ने अनुरोध किया है कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को (***) मी. टन) सीधे ही निर्यात किया है। इसने आगे कहा है कि केवल उत्पादक ने भारत को सीधे निर्यात किए हैं और संबंधित या असंबंधित हस्तियों द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा से जानकारी का सत्यापन किया है और यह पाया है कि बहुत से असंबंधित निर्यातकों ने डब्ल्यूके-801 विवरण के साथ माल का निर्यात किया है जो कि वानकाई द्वारा उत्पादित एक ग्रेड है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स डेटा के अनुसार वानकाई न्यू मेटिरियल्स कं. लिमि. से *** मी. टन का सीधे ही आयात किया गया है और अन्य निर्यातकों से भारत में ग्रेड डब्ल्यूके-801 का *** मी. टन आयात किया गया है।
34. वानकाई ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई विसंगतियों का उत्तर दायर किया है। दिनांक 18 जुलाई, 2024 को वानकाई द्वारा भेजे गए उत्तर के अनुसार, उत्पादक ने कहा है कि उसने ऐसे किसी ट्रेडर को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं की है जिसने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि डब्ल्यूके 801 उत्पाद की विशेषताओं की पहचान करने के लिए वानकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया ग्रेड है। तथापि, डब्ल्यूके 801 एक रजिस्टर्ड नाम नहीं है न ही वानकाई का विशिष्ट ब्रांड नाम है। एक अन्य निर्यातक भी अपने उत्पादों के लिए उक्त नाम का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के अपने उत्तर में उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए केवल प्रत्यक्ष निर्यातों पर विचार किया है।
35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटीए और एमईजी संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्चा माल हैं। आवेदक ने पीटीए और एमईजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ट्रेडमैप डेटा के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराई है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि पीटीए और एमईजी, दोनों, की कीमतों में जांच की मूल अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। उक्त अवधि में वानकाई से पहुंच कीमत में भी गिरावट आई है।

अवधि	इकाई		पहुंच कीमत	पीटीए वैश्विक कीमत	एमईजी वैश्विक कीमत	कच्चे माल की लागत
अक्तूबर, 18- जून, 2019	अमरीकी डालर/ मी. टन		***	1,055	740	1,131
जनवरी, 23- सितंबर, 23	अमरीकी डालर/ मी. टन		***	973	551	999
परिवर्तित	अमरीकी डालर/ मी. टन		***	-82	-189	-132
परिवर्तित	%		(10-20)	-8%	-25%	-12%
आमेलित	अमरीकी डालर/ मी. टन		***			

*पीटीए की 0.84 यूनिट और एमईजी की 0.33 यूनिट की खपत पर विचार करते हुए।

36. यह नोट किया गया है कि-

- i. जांच की मूल अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत *** अमरीकी डालर प्रति मी. टन थी और जांच की वर्तमान अवधि के दौरान कम हो कर *** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन रह गई है।

- ii. जांच की मूल अवधि की तुलना में, जांच की चालू अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में ***% या *** अमरीकी डालर प्रति मी. टन की गिरावट आई हैं।
- iii. जांच की मूल अवधि की तुलना में जांच की चालू अवधि में वानकाई की पहुंच कीमत में *** % या *** अमरीकी डालर प्रति मी. टन की गिरावट आई है।
37. इन अनुरोधों के संबंध में कि अवशोषण पर भारतीय रुपयों में विचार किया जाना चाहिए न कि अमरीकी डालर में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में आमेसन को अमरीकी डालर में निर्धारित और परिमाणीकृत किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय रुपए का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है क्योंकि वानकाई द्वारा निर्यात अमरीकी डालर में किए गए हैं न कि भारतीय रुपयों में। अतः, पाटनरोधी शुल्क के आमेसन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी अमरीकी डालर में कीमतों पर विचार किया है।
38. इन अनुरोधों के संबंध में कि उत्पाद मिश्र के अनुपात में परिवर्तन के लिए समायोजन किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन निर्धारित नहीं किया गया था। चूंकि, वानकाई के लिए पाटनरोधी शुल्क उत्पाद मिश्र पर विचार किए बिना पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर निर्धारित किए गए थे, इसलिए ऐसे प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण के लिए इस पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में, चीन जन.गण. पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किया गया था और तदनुसार, चीन जन.गण. से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के तहत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पतियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन क कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं; तथापि जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो।”

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में, चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों को सम्मिलित करने के लिए विधिवत समायोजित, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए भारत में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया था।

41. पाटनरोधी नियमों के नियम 29 (2) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

“(2) जहां, पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु को भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति के तहत आयातित किया जाता है जिसे वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण के रूप में समझा जाता है और ऐसा शुल्क निष्प्रभावी हो जाता है अथवा निष्प्रभावी हो सकता है, तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, पुनरीक्षा आयोजित करने के पश्चात, क्रमशः इन नियमों के नियम 10 और अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसरण में, यदि आवश्यकता हो तो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः मूल्यांकन करने तथा इससे पहले निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति में उचित परिवर्तन या समायोजन करने के पश्चात पाटन रोधी शुल्क के स्वरूप या आधार अथवा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा अथवा दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं।”

42. नियम 29(2) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने वानकाई न्यू मेटेरीयल्स कं. लिमि. के लिए इससे पहले निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया है और अनिवार्य परिवर्तनों के लिए इसे विधिवत समायोजित किया है। इस प्रकार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य को नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	कीमत
मूल जांच के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य	डॉलर/ मी. टन	***
पहले निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य में समायोजन	डॉलर/ मी. टन	(***)
समायोजित निर्मित सामान्य मूल्य	डॉलर/ मी. टन	***

43. प्राधिकारी ने दायर किए गए उत्तर में उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रत्यक्ष निर्यातों के आधार पर वानकाई के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निर्यातक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन तथा अन्य संबंधित व्ययों, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

44. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, वानकाई से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	डॉलर/ मी. टन	डॉलर/ मी. टन	डॉलर/ मी. टन	%	रेंज
वानकाई न्यू मेटेरीयल्स कं. लिमि.	***	***	***	***	10-20%

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत को यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी शुल्क में यथा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मूल जांच में निर्धारित किया गया था। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत को जांच की मूल अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया था।
46. पाटनरोधी नियमावली की धारा 29(2) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अनिवार्य परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों को समायोजित किया है। निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	कीमत
मूल जांच के अनुसार क्षतिरहित कीमत	डॉलर/ मी. टन	***
पहले निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत में समायोजन	डॉलर/ मी. टन	(***)
समायोजन क्षति रहित कीमत	डॉलर/ मी. टन	***

47. क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए, इस प्रकार निर्धारित की गई घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत की संबद्ध देश से वानकाई की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	डॉलर/ मी. टन	डॉलर/ मी. टन	डॉलर/ मी. टन	%	रेंज
वनकाई न्यू मेटेरीयल्स कं. लिमि.	***	***	***	***	0-10%

च. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

48. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को 5 अगस्त 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की उनके संगत समझे जाने सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्ववर्ती अनुरोध का पुनः प्रस्तुतिकरण था और जिसकी पहले पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, को संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने समीक्षा के दायरे, धारा 9क(1) बनाम नियम 29(1) के प्रावधानों, नियम 29 में देश या देशों का उल्लेख, बिना भेदभावपूर्ण आधार पर शुल्क लगाने, के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है, इसी और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी कानून पर भरोसे ने विशेष परिस्थितियों के अर्थ और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता को दोहराया है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- क. भोगीलाल चुन्नीलाल पंड्या बनाम बॉम्बे राज्य न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तर्काधार की अनदेखी की गई है। जब किसी देश के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की गई है, तो समामेलनरोधी जांच भी केवल उसी देश के विरुद्ध शुरू की जा सकती है।
- ख. केवल इसलिए कि निर्यातकों का अलग-अलग समामेलन व्यवहार हो सकता है, यह बात चुनिंदा निर्यातकों के विरुद्ध जांच का आधार नहीं हो सकती है। कानून की भावना के अनुसार, समामेलन का आरोप केवल कतिपय निर्यातकों के विरुद्ध हो सकता है, परंतु जांच सभी निर्यातकों के विरुद्ध शुरू करनी होगी।
- ग. चूंकि आम तौर पर शुल्क के समामेलन के लिए आवेदन केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया जाएगा और केवल आपवादिक परिस्थितियों में अन्य पक्षकारों द्वारा दायर किया जाएगा, इसलिए नियम 29(3) के प्रावधान इस व्याख्या से विफल नहीं होते हैं कि कोई समामेलनरोधी जांच केवल समग्र रूप से संबद्ध देश के विरुद्ध शुरू की जा सकती है। कानून को एक पक्षकार की कठिनाई की सुदूर संभावना के आधार पर बदला नहीं जा सकता।
- घ. प्राधिकारी द्वारा समामेलन की राशि निर्धारित नहीं की गई है।
- ङ. किसी समामेलनरोधी जांच में लागू शुल्क का स्तर पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो आगे पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की राशि अधिकतम 100% के अधीन होता है। इस प्रकार, लागू अधिकतम शुल्क को वर्तमान शुल्क के दोगुने तक सीमित किया जा सकता है।
- च. आयातों में वृद्धि तथा क्षमताओं में वृद्धि की जांच केवल मध्यावधि समीक्षा में की जा सकती है और समामेलनरोधी समीक्षा में नहीं, जो केवल मार्जिनों के पुनः आकलन तक सीमित होती है।
- छ. संबंधित उत्पादक, चोंगकिंग वंकाई की क्षमता को विशेष रूप से तब वंकाई द्वारा समामेलन का आधार नहीं माना जा सकता है जबकि क्षमता विस्तार शुल्क लगाए जाने से 2 वर्ष पहले हुआ था, और वंकाई की क्षमताएं भारतीय मांग को पूरा करने के लिए स्वयं पर्याप्त हैं। चोंगकिंग वंकाई द्वारा उत्पादित वस्तु को अवशिष्ट शुल्क के कारण उत्पादक द्वारा निर्यातित नहीं किया जा सकता है, और उच्च माल भाड़ा लागत के कारण वंकाई द्वारा निर्यातित नहीं किया जा सकता है।
- ज. निर्यात कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे उत्पाद मिश्रण में बदलाव, सीएनवाई/यूएसडी विनिमय दर मूल्यहास और आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर की जांच नहीं की गई है। केवल कीमतों गिरावट समामेलन नहीं हो सकता है और कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की जांच की जानी चाहिए।
- झ. क्षतिरहित कीमत, पहुंच कीमत और क्षति मार्जिन की आईएनआर में तुलना की जानी चाहिए। यद्यपि यह माना गया है कि पाटन मार्जिन को यूएसडी में देखा जाना चाहिए, क्योंकि निर्यातक यूएसडी में वस्तुएं बेचता है; इसकी अनदेखी की गई है कि घरेलू उद्योग और आयातों की पहुंच कीमत आईएनआर में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- ञ. चूंकि इस अवधि में आईएनआर का मूल्यहास हुआ है, इसलिए क्षति रहित कीमत पर यू एस डी में विचार करने और कच्ची सामग्री के यू एस डी में समायोजन से परिणामी क्षति रहित कीमत जो आई एन आर में है, उस कीमत से अधिक हो गई है जो मूल जांच में निर्धारित की थी।
- ट. इस अवधि के लिए बिल्कुल सही लागू औसत विनिमय दर ₹ 83.37/अमेरिकी डॉलर है, और न कि ₹ 83.32 प्रति अमेरिकी डॉलर।
- ठ. वंकाई ने केवल समामेलन के लिए उत्पाद मिश्रण के लिए समायोजन के लिए कहा है और मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं।
- ड. चूंकि निर्यातक पहले यह निर्धारित करता है कि क्या सीएनवाई में कीमत उचित है और उसके बाद उसे अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, इसलिए सीएनवाई बनाम अमेरिकी डॉलर का मूल्यहास निर्यातक के लिए संगत है।

- ढ. चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्यातक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ण. सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत में किए गए समायोजनों का प्रकटन किया गया है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. घरेलू उद्योग ने समीक्षा के दायरे, वंकाई के निर्यातों का भारी हिस्सा ग्रेड डब्ल्यू के 801 वाले उत्पाद के आयात, वंकाई द्वारा दायर उत्तर को अस्वीकार करने के अनुरोध और जनहित के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
 - क. निर्यातक ने यह मनगढ़ंत दावा करते हुए जाँच को गुमराह करने का प्रयास किया है कि डब्ल्यू के-801 को अन्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा उत्पादित किया और बेचा जा सकता है और इसके कारण, संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह ग्रेड वंकाई का एक विशिष्ट चिह्न है, और आयातों की निकासी वंकाई पर लागू शुल्क के भुगतान पर की गई है।
 - ख. सुविधाओं की लागत में वृद्धि हुई है। यदि उस पर विचार किए जाए तो समामेलन की राशि उच्चतर होगी।
 - ग. सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत को सुविधाओं की लागत में वृद्धि के लिए आगे और समायोजित किया जाना चाहिए।
 - घ. समामेलन राशि के बहुत कम होने के आधार पर समामेलन-रोधी जांच की समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। समामेलन की राशि व्यवसाय और अर्थशास्त्र में भी संग नहीं है। चूंकि कुल लागत का 85-90% हिस्सा कच्ची सामग्री की लागत है, इसलिए कीमत में थोड़ी सी भी गिरावट भी निर्यातकों पर काफी अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
 - ड. देश में मांग-आपूर्ति में ई अंतर नहीं है, और प्रयोक्ता उद्योग के निष्पादन शुल्क लगाने के बाद से सुधार हुआ है। केवल एक निर्यातक के लिए शुल्क की राशि में वृद्धि से वस्तु की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती है।
 - च. भारत में आयातों के पाटन के कारण, आवेदक की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और संयंत्र के प्रचालन अव्यवहारिक हो गए हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों को दोहराया गया है जिनकी अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से पहले ही जांच की जा चुकी है पर्याप्त रूप से समाधान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
52. इस दलील के संबंध में कि धारा 9क के प्रावधानों की व्याख्या केवल इस अर्थ में की जा सकती है कि किसी जांच को केवल किसी देश के विरुद्ध ही शुरू किया जा सकता है और किसी निर्यातक के विरुद्ध नहीं, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन से एल्युमीनियम रॉड व्हील्स के मामले में कतिपय निर्यातकों के विरुद्ध एक मध्यावधि समीक्षा पूर्व में शुरू की थी। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और तुर्किए में जांचकर्ता प्राधिकारियों ने भी ऐसे मामलों में अलग-अलग निर्यातकों के विरुद्ध जांच शुरू की है, जहां कतिपय निर्यातकों को मूल जांच में करते हुए करते हुए पाया गया है। अतः अलग निर्यातकों के विरुद्ध जांच की शुरुआत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम या पूर्ववर्ती जांचों में पाटनरोधी करार के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं पाई गई है। तदनुसार, इस व्याख्या को अपनाना कि किसी निर्यातक अथवा चुनिंदा निर्यातकों के विरुद्ध आमेलन रोधी जांच शुरू की जा सकती है, प्राधिकरण के कानूनी प्रावधानों और पद्धति के अनुपालन में है।
53. प्राधिकारी मानते हैं अपने स्वभाव के अनुसार समामेलन का व्यवहार निर्यातक विशिष्ट है एक बार पाटनरोधी शुल्क लगने पर इसकी पूरी संभावना है कुछ विदेशी उत्पादक समामेलन का सहारा लेंगे, जबकि अन्य ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा, जब किसी देश के विरुद्ध भी मूल जांच शुरू की गई है, तब भी नियमों में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रावधान है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मूल जांच के लिए भी, प्राधिकारी के लिए को

विदेशी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। इसी प्रकार, मध्यावधि समीक्षा के मामले में, प्राधिकारी किसी विशेष निर्यातक से समीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन का व्यवहार निर्यातक विशिष्ट होता है, और केवल इसी कारण से नियमावली में अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का प्रावधान है। इसी के अनुसार समामेलन का व्यवहार उत्पादक विशिष्ट होता है।

54. यह तथ्य कि वर्तमान समामेलन को अलग-अलग निर्यातक तक सीमित करना उचित था, वर्तमान मामले की काफी विचित्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स द्वारा सिद्ध हुआ है। डी जी सिस्टम आंकड़ों से पता चलता है कि 77% आयात वंकाई के नाम से हुए हैं। यद्यपि वंकाई ने दलील दी है कि उसके केवल *** मीट्रिक टन (इसके उत्तर के अनुसार) है और चीन के अन्य उत्पादकों के लिए वंकाई ग्रेड के नाम के प्रयोग और वस्तुओं की आपूर्ति का विकल्प खुला है, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इन वस्तुओं को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत किया गया है जैसा कि वंकाई पर लागू था। इस प्रकार, समामेलन के दृष्टिकोण से, यदि इन निर्यातों को वंकाई द्वारा किए गए निर्यात माना जाए तो वर्तमान जांच में भारत में कुल आयातों का 77% शामिल है। यदि ये निर्यात वंकाई द्वारा किए गए निर्यात माने जाते हैं तो इस प्रकार से इन पर अवशिष्ट शुल्क लागू है और ऐसे आयातों के विरुद्ध समामेलन जान की जरूरत साबित नहीं होती है। फिर भी, भारत को वंकाई द्वारा सीधे निर्यात डी जी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार भारत को कुल निर्यातों का 49% बनते हैं।
55. इस प्रकार, प्राधिकारी को इस दलील में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि किसी जांच जांच को इस बात पर बिना विचार किए सभी निर्यातकों के सिरुद्ध शुरू की जानी चाहिए, कि क्या कतिपय निर्यातक समामेलन में शामिल हों अथवा नहीं। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह की व्याख्या उस स्थिति में संभावित है जिसमें प्राधिकारी भारित औसत कीमतों के आधार पर जांच शुरू करते हैं। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां केवल कुछ निर्यातक, आमेलन में शामिल हों, औसत कीमतों का रूझान गुमराह करेगा और यह दर्शा सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई समामेलन नहीं हुआ है जहां वास्तव में एक या उससे अधिक निर्यातकों ने शुल्क का समामेलन किया है। इससे यह प्रावधान निष्प्रभावी हो जाएगा और इसका लक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। कानून को इस प्रकार से पढ़ा, व्याख्या और लागू नहीं किया जा सकता है जहां वह उसका उद्देश्य पूरा करने के बजाय उसे विफल करता हो। इसके अलावा, यदि वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी निर्यातक-वार कीमतों पर विचार करते हैं और शुल्कों के समामेलन में पाए गए निर्यातकों सहित सभी निर्यातकों के विरुद्ध जांच शुरू करते हैं, ऐसी कोई जांच शुरूआत अपने आप में शुल्कों के समामेलन में नहीं पाए गए निर्यातकों के लिए क्षेत्राधिकार के बिना होगी।
56. निर्यातक ने यह भी तर्क दिया है कि समामेलन-रोधी जांच की शुरूआत के लिए आवेदन को सामान्यतः घरेलू उद्योग के आवेदन पर शुरू किया जाता है, और इस प्रकार, नियम 29(3) के प्रावधान अनावश्यक नहीं हो जाएंगे। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि कतिपय परिस्थितियों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो इसके प्रावधानों को इस प्रकार से पढ़ना होगा कि ऐसा आवेदन दायर करने की अनुमति मिल सके। यदि प्रावधानों को इस अर्थ के लिए पढ़ा जाता है कि कोई आवेदन केवल सभी निर्यातकों के विरुद्ध दायर किया जाएगा, तो कोई निर्यातक अन्य निर्यातकों के खिलाफ समामेलनरोधी जांच शुरू की शुरूआत के लिए आवेदन करने में कभी सक्षम नहीं होगा, इस प्रकार यह प्रावधान अनावश्यक हो जाएगा। इसके अलावा, कोई आयातक भी किसी निर्यातक विशेष से आयातों के विरुद्ध आवेदन दायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अर्थ उसके स्वयं के आयातों के विरुद्ध भी जांच करना होगा। निर्यातक ने इस बात पर भी जोर दिया था कि ईसी और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी कानून, एक पुस्तिका के प्रतिष्ठित लेखकों की राय की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। परंतु प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है। तथापि, किसी लेखक की राय प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है और केवल सलाह के रूप में है। अतः, प्राधिकारी पाते हैं कि प्रत्येक मामले के तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर किसी देश, व्यक्ति या चुनिंदा निर्यातकों के खिलाफ एक विरोधी अवशोषण जांच की जा सकती है।
57. निर्यातक के अनुरोध के विपरीत, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में समामेलन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि उन्होंने पहले ही कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन का प्रकटन किया है जबकि पहुंच कीमत निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित थी। विचार की गई पहुंच कीमत और समामेलन की मात्रा की गणना निर्यातक को भी बताई गई थी, और निर्यातक को टिप्पणियां देने का अवसर दिया गया था।
58. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क की राशि को शुल्क की मूल राशि के केवल दोगुने तक ही सीमित किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह व्याख्या विशिष्ट कानूनी प्रावधान से अधिक है। नियमावली में स्पष्ट रूप से प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार में संशोधन या पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन या

इन दोनों के निर्धारण और सिफारिश करने की अपेक्षा है जिसे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनः आकलन के पश्चात करना होता है और पहले निर्धारित सामान्य मूल्य तथा क्षति मार्जिन में समुचित बदलाव या समायोजन किए जाते हैं। इस प्रकार, नियमावली में प्राधिकारी के लिए स्पष्ट रूप से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः आकलन करना अपेक्षित है। एक बार जब प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः आकलन करने पर यह निर्धारित होता है कि ऐसे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर राशि शुल्क बन जाएगी। नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को नए पाटनरोधी शुल्क को पहले लागू पाटन रोधी शुल्क की राशि के दुगने तक सीमित करना चाहिए।

59. निर्यातक ने यह भी तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि और क्षमताओं में वृद्धि की जांच केवल मध्यावधि समीक्षा में की जा सकती है, और न कि समामेलनरोधी जांच में। प्राधिकारी मानते हैं कि इन दोनों मापदंडों की जांच समामेलन की राशि की मौजूदगी का पता लगाने के लिए नहीं की गई है, बल्कि केवल इस मूल्यांकन के लिए की गई है कि क्या शुल्क लागू होने की की तारीख से दो वर्ष बीत जाने के बाद आवेदन को स्वीकार करने को सही ठहराने के लिए विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं।
60. इस तर्क के संबंध में कि संबंधित उत्पादक, चोंगकिंग वंकाई की क्षमता को वंकाई द्वारा समामेलन के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी संबंधित उत्पादक द्वारा क्षमता में वृद्धि का अर्थ है कि दो संबद्ध कंपनियों की कुल क्षमता में संचयी रूप से वृद्धि हुई है। यद्यपि चोंगकिंग वंकाई अवशिष्ट शुल्कों के अधीन होने के कारण भारत को अपने सीधे निर्यातों में वृद्धि नहीं कर सकता है, इसलिए संबद्ध कंपनी के पास बड़ी अधिक क्षमताओं की उपलब्धता का अर्थ है कि ऐसी क्षमताओं का प्रयोग अन्य बाजारों में आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, जबकि वंकाई की क्षमता का प्रयोग भारत को निर्यातों में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, उस अवधि जिसमें क्षमता बढ़ी है, पर विचार किए बिना मात्रा में बाद की अवधि में भी दर्शायी जा सकती है। वंकाई से आयातों में हाल की अवधि में वृद्धि दर्शायी है। वंकाई ने निर्यात मात्रा में ऐसी भारी वृद्धि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यह नहीं बताया है कि निर्यातक कैसे अन्य समूह कंपनी के साथ अपने मौजूदा व्यवसाय के वितरण या संवितरण के बिना अपनी क्षमता को बढ़ाने में कैसे सक्षम रहा है।
61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक ओर, निर्यातक ने माना है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए उत्पाद मिश्रण पर विचार करना अपेक्षित नहीं है, और दूसरी ओर, शुल्कों के समामेलन के लिए उसने इन पर विचार करने का अनुरोध किया है। यह बात स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है, क्योंकि निर्यात कीमत में गिरावट और मार्जिनों के निर्धारण के लिए अलग-अलग मापदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं।
62. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वंकाई के लिए पाटन-रोधी शुल्क उत्पाद मिश्रण पर विचार किए बिना पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया हुआ था। जहां निर्यातक ने मूल जांच में निर्यात कीमत के निर्धारण में उत्पाद मिश्रण पर विचार करने की दलील नहीं दी थी, वहां वर्तमान जांच में ऐसी निर्यात कीमत के आधार पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की जांच करने के लिए इस पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।
63. इस तर्क के संबंध में कि निर्यात कीमत में गिरावट सीएनवाई के मूल्यहास के कारण हुई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि वह सीएनवाई में प्राप्ति पर विचार करने के बाद कीमतें उद्धृत करता है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आयातकों के साथ सभी सौदे यूएसडी में उद्धृत हैं, जिसका अर्थ है कि कीमतों पर यूएसडी में सौदेबाजी हुई है। इसके अलावा, निर्यातक ने निर्यात कीमत पर सीएनवाई के मूल्यहास के प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई मजबूत साक्ष्य भी नहीं दिया है। निर्यातक के लिए केवल सीएनवाई के मूल्यहास का कोई साक्ष्य या निर्यात कीमत पर उसके प्रभाव का कोई साक्ष्य दिए बिना केवल उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, यदि निर्यातक यह मानता है कि कीमतों पर सीएनवाई में विचार किया जाए, तो उत्पादन की लागत पर भी सीएनवाई में विचार करना अपेक्षित है। यह संभव नहीं है कि निर्यात कीमत में गिरावट की जांच सीएनवाई में जांच की जाए, जबकि कच्ची सामग्री की लागत की जांच यूएसडी में की जाए, क्योंकि ऐसी जांच से आंकड़ों की तुलना संभव नहीं होगी। इसके अलावा, यदि निर्यातक सीएनवाई में प्राप्ति का मूल्यांकन करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से खरीद का मूल्यांकन भी सीएनवाई में ही करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की मूल अवधि में यूएसडी/सीएनवाई की दर 0.1465 थी, जबकि अब यह 0.1412 है। इस पर विचार करने से पहुंच कीमत और कच्ची सामग्री की लागत के रूझान निम्नानुसार हैं और उनमें समामेलन प्रदर्शित होना जारी रहेगा।

अवधि	इकाई	पहुंच कीमत	कच्ची सामग्री की लागत
अक्टू.'18 – जून'19	सीएनवाई/एमटी	***	***
जन.'23 – सित.'23	सीएनवाई/एमटी	***	***
परिवर्तन	सीएनवाई/एमटी	(***)	(***)
परिवर्तन	%	(10-20)%	(0-10)%
समामेलन	सीएनवाई/एमटी	(***)	

64. आईएनआर के मूल्यहास के संबंध में, इसकी समामेलन के निर्धारण में कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। निर्यातक ने स्वयं माना है कि वह यू एस डी में कीमतें उद्धृत करता है, या सीएनवाई में उसका मूल्यांकन करता है। कीमतें उद्धृत करते समय आईएनआर में कीमतों पर विचार नहीं किया जाता है। निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत यू एस डी में है। समामेलन को यू एस डी सही ढंग से मूल्यांकित किया गया है।
65. वंकाई ने यह भी तर्क दिया है कि क्षति रहित कीमत पर आई एन आर में विचार किया जाए और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए पहुंच कीमत की तुलना भी आई एन आर में की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा आईएनआर में होती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत वास्तव में आई एन आर में परिकलित की गई थी। तत्पश्चात आई एन आर ने यथा प्रचलित क्षति रहित कीमत को यू एस डी में बदला गया है। इन दोनों के बीच के अंतर पर कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट के रूप में विचार किया गया है।
66. प्राधिकारी ने विचार की गई विनिमय दर की पुनः जांच की है और पाया कि विनिमय दर पर 83.32 के रूप में विचार करना सही है। यह भी नोट किया गया है कि निर्यातक ने उसके द्वारा बताई गई विनिमय दर के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा घोषित विनिमय दरों के आधार पर विनिमय दर पर विचार किया है।
67. इस दलील के संबंध में कि प्राधिकारी ने निर्यातक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान या मूल जांच में निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा नहीं किया गया है। अतः, मूल जांच में सामान्य मूल्य अनुबंध -I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है। वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा इसे विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।
68. निर्यातक ने तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत में किए गए समायोजन का प्रकटन नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि संबद्ध वस्तु की कच्ची सामग्री की लागत में बदलाव हुआ है। अतः समायोजन कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन तक सीमित है।
69. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित था कि क्या कुछ विशेष परिस्थितियां थीं, जिन्होंने घरेलू उद्योग को आवेदन दायर करने से रोका था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। नियमावली में केवल यह अपेक्षा की गई है कि आवेदन को सामान्यतः शुल्क लागू होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाएगा, 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे प्रावधान का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि आवेदन को 2 वर्ष के बीत जाने के बाद तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब विशेष परिस्थितियों के कारण घरेलू उद्योग पहले आवेदन नहीं कर पाया है। इसके बजाए बल्कि, इस प्रावधान की उचित व्याख्या इस अर्थ में होगी कि जहां तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 2 वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद शुल्क में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, वहां प्राधिकारी ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं।
70. घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि वंकाई ने गलत बताया है कि अन्य निर्यातकों द्वारा डब्ल्यू के-801 के रूप में लेबल निर्यात वंकाई द्वारा उत्पादित वस्तु नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि

ऐसी वस्तुओं को वंकाई पर लागू शुल्कों के भुगतान पर स्वीकृत किया गया है। तथापि, निर्यातक ने इस पर प्रश्न उठाया है।

किंतु वंकाई ने दावा किया है कि वस्तुओं का उत्पादन उसने नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग अलग पाटन मार्जित पर आधारित पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण वर्तमान जांच के दायरे या महानिदेशक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों को शुल्क की सही राशि और उसमें परिवर्तन का निर्धारण करना होता है। डी जी टी आर इस संबंध में समुचित मंच नहीं है।

71. तक इस तर्क के संबंध में कि सुविधाओं की लागत में वृद्धि को भी समायोजित समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया दावा देरी से किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद ऐसे समायोजन का अनुरोध किया है। इस स्तर पर, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के दावों का सत्यापित करना संभव नहीं है। अतः, प्राधिकारी ऐसा समायोजन करना उचित नहीं समझते हैं।
72. निर्यातक के इस तर्क के संबंध में कि उचित प्रस्तुतियाँ करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य के साथ-साथ सामान्य मूल्य का खुलासा किया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के गोपनीय व्यापार स्वामित्व डेटा पर आधारित है। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग का गैर-हानिकारक मूल्य कारोबार की गोपनीय सूचना है जिसके प्रकटन से घरेलू उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, वर्तमान जांच में गैर-हानिकारक मूल्य और निम्न सामान्य मूल्य दोनों का खुलासा नहीं किया जा रहा है।
73. घरेलू उद्योग ने भी जनहित के संबंध में भी विस्तृत अनुरोध किए हैं। तथापि, प्राधिकारी पाते हैं कि शुल्क लगाना पहले से ही जनहित में पाया गया था। ऐसी स्थिति में, मौजूदा लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की भरपाई के लिए शुल्क की राशि में बदलावा करना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति में अंतर है। घरेलू बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है जो यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तु उपलब्ध हो। इसके अलावा, किसी भी प्रयोक्ता ने समामेलनरोधी जांच में शुल्कों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध नहीं किया है।

छ. निष्कर्ष और सिफारिशें

74. सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है।
 - क. समामेलनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के रूप में दायर किया गया था।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था, अर्थात्, "वर्जिन पॉलीइथीन टेरैफ्थैलेट (पीईटी) रेजिन", जिसे पॉलीइथीन टेरैफ्थैलेट रेजिन के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें 0.72 डेसीलिलटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कोसिटी होती है।
 - ग. वर्तमान निर्यातक सहित किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने मूल जांच के समय उक्त निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड और अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बेचे गए ग्रेड में किसी विभेद की मांग नहीं की है। अब निर्यातक के लिए अब यह तर्क देना अनुचित है कि उसने ऐसे ग्रेड की आपूर्ति की है जो मूल जांच के समय बेचे गये ग्रेड से भिन्न है।
 - घ. आवेदन दायर किया गया था और इस बात की जांच करने के लिए जांच शुरू की गई थी कि क्या वंकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन में शामिल है और यदि हां, तो सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के पुनर्मूल्यांकन के बाद पाटनरोधी शुल्क की राशि को पुनः निर्धारित किया जाए।
 - ड. कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि शुल्कों के समामेलन के लिए जांच समग्र रूप से केवल संबद्ध देश के विरुद्ध शुरू की जाए, और उसे ऐसे आमेलन में शामिल अलग-अलग निर्यात के विरुद्ध शुरू नहीं की किया जा सकता है। समामेलनरोधी जांच या तो या सीमित निर्यातकों, या समग्र रूप से निर्यातक देश के विरुद्ध शुरू की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहां आवेदक ने चीन की केवल एक कंपनी के लिए जांच की मांग की है, पूरे देश के विरुद्ध जांच शुरू करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, वास्तव में, यह

पाया गया था कि वर्तमान अवधि में लगभग 49% आयात उक्त निर्यातक द्वारा किए गए हैं और इसलिए केवल उक्त निर्यातक तक जांच को सीमित करने की उपयुक्तता सिद्ध होती है।

- च. ऐसी पर्याप्त विशेष परिस्थितियां थीं जिनमें शुल्क लगाए जाने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार करना आवश्यक था। इन विशेष परिस्थितियों को वंकाई की संबद्ध कंपनी की क्षमता में वृद्धि और वंकाई द्वारा निर्यातों में वृद्धि से सिद्ध किया गया है।
- छ. प्राधिकारी ने शुल्क के समामेलन की जांच के लिए वंकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर में यथासूचित केवल प्रत्यक्ष निर्यातों पर विचार किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह तथ्य कि भारत में ऐसे भारी आयात हुए हैं, जिन्हें वर्तमान निर्यातक के ग्रेड नाम के प्रयोग में बताया गया है, स्वयं में उन निर्यातों को शामिल करने को उचित नहीं ठहराता है, विशेष रूप से तब जबकि प्रतिवादी ने इससे इनकार किया है और बताया है कि ये उनके निर्यात नहीं थे। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान निर्यातक के ग्रेड नाम के वर्णन सहित निर्यातों की घोषणा द्वारा पाटनरोधी शुल्क का संभावित कम भुगतान डीजीटीआर के दायरे और क्षेत्राधिकार से बाहर है। घरेलू उद्योग के पास देश के विभिन्न कानूनों के अनुसार अन्य उपचार उपलब्ध हैं।
- ज. यद्यपि उत्पाद की कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट आई है, तथापि, उक्त निर्यातक द्वारा निर्यातों की निर्यात कीमत में गिरावट उच्चतर है।
- झ. पूर्व में निर्धारित सामान्य मूल्य और गैर-क्षतिग्रस्त कीमत को क्रमशः निर्यात कीमत और पहुंच कीमत से तुलना के लिए उचित ढंग से समायोजित किया गया है।
- ञ. निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पूर्ववर्ती जांच में निर्धारित राशि अधिक है।
- ट. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट आई थी, तथापि सुविधाओं की लागत में वृद्धि हुई है, इस प्रकार समामेलन की उच्चतर मात्रा प्रदर्शित हुई। तथापि, प्राधिकारी ने इस दलील को काफी देरी से होने के कारण स्वीकार नहीं किया है।
- ठ. नियमावली में प्राधिकारी के लिए सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत का पुनः आकलन करना अपेक्षित है और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क की नई राशि निर्धारित करने के लिए नए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करना अपेक्षित है जिसे लागू किया जाना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया गया है।
- ड. रिकॉर्ड में तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क को अपनी कीमतें घटाकर उक्त निर्यातक द्वारा समामेलित किया गया है। उक्त कीमत कटौती उस सीमा से अधिक है जिसे कच्ची सामग्री के कारण लागत में गिरावट द्वारा उचित ठहराया गया हो।

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समामेलन के पहलू संबंधी सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, वंकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा शुल्क के समामेलन की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि वंकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड पर लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करना अपेक्षित है। अतः, प्राधिकारी वंकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की सिफारिश करते हैं।

76. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर 2020 और अधिसूचना संख्या 18/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मार्च 2021 के माध्यम से निम्नानुसार चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए शुल्क की राशि में संशोधन की सिफारिश करते हैं। कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी वर्तमान जांच के अधीन निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क शुल्क में संशोधन की सिफारिश करते हैं। निर्यातकों के वर्तमान जांच के अधीन नहीं होने के संबंध में पहले लागू पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा। तदनुसार, वर्तमान समामेलनरोधी जांच में प्राधिकारी की उक्त सिफारिश को शामिल करते हुए चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा इंगित रूप से दर्शाया जाएगा। ऐसे शुल्क

अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मार्च 2021 के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेंगे।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरैफ्थैलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिलटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कोसिटी हो”	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मेटेरियल कं. लिमिटेड / चीन प्रोसपेरिटी (जियांगयिन) पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड	146.11	एमटी	अम.डॉ.
2	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरैफ्थैलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिलटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कोसिटी हो”	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	वंकाई न्यू मेटेरियल कं. लि.	40.41	एमटी	अम.डॉ.
3	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरैफ्थैलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिलटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कोसिटी हो”	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जियांगशु जिंगये प्लास्टिक कं. लि./ जियांजिन जिंगयू न्यू मेटेरियल कं. लि./ जियांगशुशेनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	60.92	एमटी	अम.डॉ.
4	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरैफ्थैलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिलटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कोसिटी हो”	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	उक्त क्र. सं. 1,2 और 3 में उल्लिखित उत्पादकों से इतर कोई अन्य उत्पादक	200.66	एमटी	अम.डॉ.

5	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कसिटी हो”	चीन जन.गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	कोई	200.66	एमटी	अम.डॉ.
6	39076190 और 39076990	“पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन जिसमें 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक विस्कसिटी हो”	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	200.66	एमटी	अम.डॉ.

* बॉटल-ग्रेड पीईटी रेजिन, जिसमें पुनः चक्रित पीईटी रेजिन शामिल नहीं है।

ज. आगे की प्रक्रिया

77. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

FINAL FINDINGS

Case No. AD(AA)-03/2023

Subject: Anti-absorption investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polyethylene Terephthalate Resin' originating in or exported from China PR.

F. No. 7/27/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. In accordance with the provisions of Rule 30 of the Anti-Dumping Rules, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of polyethylene terephthalate resin (hereinafter referred to as “PET Resin” or the “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR

(hereinafter referred to as the “subject country”) and produced by Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Wankai” or the “subject exporter”).

2. The anti-dumping investigation concerning imports of PET Resin from the China PR was initiated vide notification dated 1st October 2019. Vide final findings F. No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020, the Authority recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of PET Resin for a period of 5 years. Such duties were levied by the Ministry of Finance vide Notification No. 18/2021-Customs (ADD) dated 27th March 2021. The said duties are set to expire on 26th March 2026. The exports by Wankai New Materials Co., Ltd. were subject to a duty of USD 15.54 per MT, while the duties applicable to other exporters ranged from USD 60.92 to USD 200.66 per MT.
3. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29(2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting a review, recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of antidumping duty after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.
4. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning absorption of the anti-dumping duties imposed on the exports from China PR by Wankai, the Authority initiated an anti-absorption investigation to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration by the subject exporter from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules, vide Notification No. 7/27/2023-DGTR dated 4th March 2024.

B. PROCEDURE

5. The procedure described hereinbelow has been followed in the investigation.
 - i. The Authority vide Notification No. 7/27/2023-DGTR, dated 4th March 2024, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-absorption investigation against imports of the subject goods by the subject exporter, Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd., from the subject country.
 - ii. Prior intimation was given to the embassy of China in India under Article 5.5 of the WTO Agreement and Rule 30(4) of the Anti-Dumping Rules regarding the initiation of an anti-absorption investigation.
 - iii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the embassy of China in India, the subject producer / exporter, Wankai, known importers and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the subject producer / exporter, and to the Government of China, through its embassy, and to other interested parties who made a request in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - v. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-absorption investigation to the subject producer / exporter in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit (including the extended time limit), as prescribed in the initiation notification, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
 - vi. Wankai New Materials Co., Ltd. has furnished a response to the questionnaire issued by the Authority.
 - vii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of the subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Varun Beverages Limited
 - b. Ganapati Fishing Lines Private Limited

- c. Vinay Plastics
- d. Cabisco Plast Private Limited
- e. RGP Impex Private Limited
- f. Goodway Chemicals Private Limited
- g. Jebruna International Private Limited
- h. National Polyplast India Private Limited
- i. D P Enterprises
- j. Tarajyot Polymers Limited
- k. R K Trading Company
- l. Ruptex Mineral Water Private Limited
- m. Tricon Energy India Private Limited
- n. Mayur Straps Packaging Industries
- o. Ready Package
- p. Sanjay Chemicals I Private Limited
- q. Noble Exim
- r. A C A Polymers
- s. S L V Pet Industries
- t. Voltson India
- u. Hitaishi Creative Enterprises Private Limited
- v. Jainson Cables India Private Limited
- w. Madhu Plastics Private Limited
- x. Aym Syntex Ltd
- y. Praveen Polymers Private Limited
- z. Oswal International
- aa. Glory Industries
- bb. Annapurna Pet Private Limited
- cc. U D Caps Private Limited
- dd. Oracle Polyplast
- ee. Shrinath Rotopack Private Limited
- ff. RKG Polyplast Private Limited
- gg. Amrit Polychem Private Limited
- hh. SPC Life Sciences Private Limited
- ii. Waterproof Corporation Private Limited
- jj. Organic Industries Private Limited
- kk. Krystals Impex
- viii. The Authority sent the importer's questionnaire to the following known Associations of the subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a. All India Plastic Manufacturers' Association
 - b. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
 - c. Associated Chambers of Commerce and Industry of India
 - d. Confederation of Indian Industry (CII)
- ix. None of the importers/users have filed questionnaire response in the present investigation.
 - x. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers on March 14, 2024. However, the Authority has not received any comments.
 - xi. The absorption period was considered as 1st January 2023 to 30th September 2023 (9 months). The Authority compared the prices in such period to the prices in the period of investigation of the original investigation.
 - xii. Transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from DG Systems. The Authority has relied upon the data from DG Systems for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the exporter.
 - xiii. Further information was sought from the applicants and responding exporters to the extent deemed necessary.
 - xiv. All the interested parties were requested to e-mail the non-confidential versions (NCV) of their submissions/responses/comments filed by them to all the other interested parties.
 - xv. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7th May 2024 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
 - xvii. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding.
 - xviii. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.
 - xix. The Authority issued a letter dated 15th July 2024 to the other interested parties regarding the deficiencies and queries in the response filed. The other interested parties have furnished a reply dated 18th July 2024. The Authority has considered the same for the purpose of the present final finding.
 - xx. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on a confidential basis.
 - xxi. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 5th August

2024. The comments on disclosure statements received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in the final finding.

- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- xxiii. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 83.32.

C. SUBMISSIONS MADE BY SUBJECT EXPORTER ON VARIOUS ISSUES

- 6. The following submissions have been made by Wankai New Materials Co., Ltd, during the course of the investigation.

Scope of review

- i. Initiation of an anti-absorption investigation can be made only against a country or countries and not selectively against a specific exporter.
- ii. As against the contention of the domestic industry, the interpretation of the word “an” used in Rule 29(1) is not plausible. In case, the intention of Rules was such, then the word “an exporter” would have been used and there was no need for words “country/countries”. If such interpretation is taken, then the initiation would never be possible against more than one exporter.
- iii. Rule 19 provides for imposition of duties on non-discriminatory basis on all imports and thus, imposition of duty against a selective exporter is not permitted. There are a number of producers in China and about 50% imports into India are from the producers other than Wankai.
- iv. The determination of whether or not there is absorption is made only with respect to anti-dumping duty imposed under Section 9A(1) and such duty under Section 9A(1) is imposed against an entire country. Rule 29(1) cannot override the provisions of the Customs Tariff Act and in case of any inconsistency the provisions of parent legislation shall prevail.
- v. Handbook titled “EC and WTO Anti-Dumping”, states that anti-absorption procedure is not limited to certain exporters but covers all imports of the product in the country.
- vi. Findings of European Commission also show that anti-absorption investigation can be initiated only against a country as a whole.
- vii. Contrary to the claim of the domestic industry, initiation of an investigation against only Wankai is prejudicial to its interests.
- viii. The grounds identified by the domestic industry are subject matter of a mid-term review investigation and not anti-absorption investigation.
- ix. Since the investigation is initiated only against imports of a single exporter, the allegation of the domestic industry that the goods produced by Wankai are also exported through other unrelated exporters cannot be examined.
- x. Wankai has not sold the product under consideration to any of the traders and has directly exported the product to India.
- xi. Grade WK-801 is one of the product codes of Wankai used for identifying and differentiating one type of the product from other types. The grade name “WK-801” is not the registered name and is not the exclusive brand name. Other exporters are free to use the name “WK-801” for their own product without the knowledge of Wankai.

Confidentiality

- xii. The domestic industry has claimed the volume and price of exports by Wankai confidential from the exporter itself.

- xiii. The domestic industry has not disclosed the source of information regarding imports from Wankai. Even the evidence with regard to increase in capacities, total imports from China, imports from Wankai, raw materials PTA and MEG price, landed value of Wankai and production of the domestic industry have been claimed confidential.
- xiv. The domestic industry has relied on sample description of import transactions with grade names. In the absence of access to source of information and the complete information itself, the exporter cannot comment on the same.

Evidence of absorption

- xv. The application filed by the domestic industry is deficient and lacks evidence and information with regard to absorption of anti-dumping duty.
- xvi. The decline in landed price from Wankai is due to decline in raw material prices.
- xvii. Value of INR has depreciated by 16% between the original and current period of investigation. The European Commission terminated the anti-absorption investigation on Sodium Cyclamate since there was decline in export price due to currency fluctuations.
- xviii. There was a requirement to *prima facie* analyse the injury margin and dumping margin based on the adjusted non-injurious price and normal value, however, the application does not contain such details.
- xix. There is a need for adjustment of export price to determine absorption. Adjustment is required for depreciation of Chinese Yen (CNY), depreciation of Indian Rupee (INR) and change in ratio of product mix exported to India between the original and current period of investigation. There is no decline in export price of Wankai post making such adjustments.
- xx. The domestic industry has not provided any justification for not considering actual exchange rate for conversion of USD to INR. Since non-injurious price and landed price are in different currencies, one of them must be necessarily converted into the other currency, for determination of injury margin.
- xxi. The injury margin for Wankai is negative in the current investigation after adjusting the non-injurious price with respect to decline in raw material prices.
- xxii. The determination of absorption should be made on comparison of present absorption period with the period of investigation of the original investigation, without reference to intervening periods.
- xxiii. While the domestic industry has provided volume of exports made indirectly to India through unrelated exporters, it has not provided prices of the same to show that the price of indirect exports was lower than the price of direct exports.

Special circumstances concerning delay in filing the application

- xxiv. The domestic industry is required to show special circumstances which prevented it from filing an application and not grounds for filing post 2 years. The meaning of the word “Special Circumstances” in Rule 29(3) should be construed same as that in Rule 30(7).
- xxv. The grounds alleged by the domestic industry are not justified as Wankai has not undertaken any capacity expansion or changed its product profile due to increase in capacity.
- xxvi. While the domestic industry has stated that imports from Wankai are about *** of total imports from China, they are only ***%. Increase in imports cannot be a special circumstance warranting initiation of an anti-absorption investigation.
- xxvii. Even if the figures provided by the domestic industry are considered, the imports from Wankai are only ***% of imports from China during the original period of investigation and cannot be considered significant.
- xxviii. The capacity displayed on the website is for Wankai, and its subsidiary, Chongqing Wankai New Materials Co. Ltd., which started production in 2020.
- xxix. Increase in imports should be compared to the period of investigation of the original investigation, and reference to any other period is not relevant.

D. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY ON VARIOUS ISSUES

7. The following submissions were made by the domestic industry on various issues during the course of the investigation.

Scope of review

- i. The application has been filed only against imports from Wankai. There is no bar under the Rules for conducting an investigation against a single exporter.
- ii. As opposed to the submissions of the other interested parties, anti-absorption investigation is company specific which is evident from the word “an” used prior to “anti-dumping duty” in Rule 29(1).
- iii. Since there is different anti-dumping duty on different producers, the behaviour of each producer is different and cannot be clubbed together.
- iv. Rule 29(3) allows any interested parties including exporters to file an application against absorption of duties. In case, the inference is that an anti-absorption investigation can be initiated only against a subject country that would lead to an exporter filing an application against itself.
- v. Rule 30 states that an anti-absorption investigation can be initiated based on *prima facie* evidence. In case, the Rules are inferred as that an anti-absorption investigation can be initiated only against a subject country, the applicants will not be able to provide *prima facie* evidence as absorption by a single exporter may be masked by non-absorption of duties by other exporters.
- vi. In case duty is levied on multiple countries, the absorption by one exporter from one subject country will be completely masked by imports from all the subject countries.
- vii. The use of word “prices” in the Rules refer to price of multiple import transactions from a single exporter which is similar to the use of the same word under Rule 18. Even in Rule 18(iii) refers to “dumped prices” which means the existence of multiple transactions from the same exporter. Similarly, Annexure I refers to “prices” in context of normal value for a single producer and Annexure II refers to “prices” of a single domestic industry. Article 2.4.2 and Para-7 of Annexure I also refer to prices in context of a single exporter.
- viii. The present investigation is practically against all imports from China since 87% imports from China are from the subject exporter.
- ix. While an anti-absorption investigation can be conducted against the country as a whole, absorption is an exporter specific behaviour and it is necessary to determine whether a single exporter is involved in absorption or it is common to all producers in the subject countries.
- x. As opposed to the submissions of the other interested parties, the present review is not under Rule 19. Further, the requirement of Rule 19 is fully complied with since anti-dumping duty was imposed by the Central Government on non-discriminatory basis. Even an anti-dumping investigation can be conducted against imports from a single exporter. European Union and Türkiye have initiated anti-dumping investigation against imports of the product from individual exporters, where such exporters were found not to be dumping in the original investigation.
- xi. Contrary to the contention of the other interested parties that absorption can only be against anti-dumping duty imposed under Section 9A(1) against entire country, such an interpretation will preclude the Authority from conducting mid-term reviews and new shipper reviews.
- xii. The handbook titles “EC and WTO Anti-Dumping” is opinion and not a legal principle.

Confidentiality

- xiii. The information claimed confidential by the domestic industry is either business proprietary information or based on information from third party, which the applicants are not authorised to disclose.
- xiv. While Wankai has claimed information with regard to raw material has been claimed confidential by the domestic industry, it has not disclosed the same information in its response.

Absorption of anti-dumping duty

- xv. Wankai has absorbed the anti-dumping duty in force.
- xvi. The volume of imports from other exporters from the subject country is low and the price of imports has increased.
- xvii. The import price from Wankai has reduced in the current period of investigation as compared to the original period of investigation.
- xviii. While the cost of production has declined due to decline in cost of raw material, the landed price has declined more than decline in cost of production.
- xix. As opposed to the contention of the other interested parties, the applicants had provided *prima facie* evidence of absorption of anti-dumping duty in the application based on which the present investigation was initiated.
- xx. Absorption has to be seen in USD and not INR or CNY as the exporter did not transact the business or export the product in INR or CNY and the customer did not make payment in INR or CNY. The entire transaction related to import is in INR.
- xxi. As opposed to the contention of the other interested parties, EC in Sodium Cyclamate terminated the investigation because on denominating the prices in USD, they determined that there is no absorption. By contrast, in the present investigation, the imports from China are in USD which has not depreciated.
- xxii. With regard to product mix, the other interested parties did not claim PCN in the original investigation and thus, the exporter cannot claim a difference in the product mix in the present investigation.
- xxiii. The domestic industry has provided detailed calculation of injury margin for Wankai and the same is positive and significant.

Special circumstances concerning delay in filing the application

- xxiv. There were compelling reasons for filing of the application after expiry of two years as Wankai has set up new capacities for production of subject goods. While Wankai was producing and exporting in lower quantities, the imports from Wankai increased significantly post commencement of new capacities.
- xxv. As opposed to information provided by Wankai, well known international publications such as Technon Orbichem Report and Wood Machenzie Report show that Wankai has undertaken capacity expansion.
- xxvi. Contrary to the information filed by Wankai, it has a related party, Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd., which is involved in production of subject goods. Wankai has made capacity addition in Chongqing province.
- xxvii. As evident from the website of Wankai, it does not recognize the two companies as separate legal entities, and only states that there are two plants of Wankai.
- xxviii. The imports from Wankai have increased in the period of investigation and have more than doubled as compared to 2022-23.
- xxix. As opposed to the contention of the other interested parties, the application was not filed prior to expiry of two years since no producer was absorbing the anti-dumping duty in that period.
- xxx. The other interested parties have not provided information with regard to the grounds that have not been fulfilled by the domestic industry for initiation of the present investigation. Merely because re-quantification is permissible in mid-term review, it cannot be contended that the present grounds are applicable only for mid-term review.

- xxxi. As opposed to the contention of the other interested parties, there is no significant of volume of imports from Wankai in the original anti-dumping duty. In any case, imports from Wankai have increased by ***% in the period of investigation as compared to 2019-20.

Other issues

- xxxii. Wankai has suppressed information in its response as it has not provided information with regard to capacity expansion.
- xxxiii. Wankai has stated that it has exported the product directly to India, however, ***% of its imports into India are through unrelated exporters which have not participated in the present investigation.
- xxxiv. The description of imports by unrelated trader states the grade “WK-801” which is a grade produced by Wankai. If these imports have been cleared after payment of anti-dumping duty applicable to Wankai, and Wankai claims that these supplies were not made by it, the DGTR may refer the matter to DRI, as it establishes large scale evasion of anti-dumping duty.
- xxxv. Since the value chain is incomplete, it cannot be considered that Wankai has filed a complete response.

E. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

E.1. Product under consideration and like article

8. The product under consideration in the present anti-absorption investigation is “virgin polyethene terephthalate (PET) resin”, defined as polyethene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher. The product scope is the same as that in the original investigation. The scope of the product under consideration does not include recycled PET Resins.
9. The product under consideration is classified under Chapter 39 under sub-heading 3907. The product under consideration has been imported under the tariff items 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 and 3907 69 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
10. The original investigation revealed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicants and those exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two were found to be technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present review, the subject goods produced by the applicants are being treated as “like article” to the subject goods imported from Wankai.

E.2. Scope of Review

11. The present review was initiated in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Anti-Dumping Rules. The present review was initiated to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration by Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. from China PR and to recommend modification of the quantum or form of anti-dumping duty, if required.
12. The applicants had provided *prima facie* evidence in their application regarding absorption of anti-dumping duty by Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. The applicants had provided *prima facie* evidence with regard to decline in prices of the product under consideration from Wankai without commensurate decline in the cost of production in the current period of investigation as compared to the period of investigation in the original investigation.
13. The other interested parties have claimed that an anti-absorption investigation can be initiated only against a subject country as a whole and not against imports from a single exporter. The Authority notes that that the present investigation was initiated only against imports from Wankai from China PR. Rule 29(1) of the Anti-Dumping Rules states as follows:

“RULE 29. Anti-absorption review. - (1) An anti-dumping duty imposed under section 9A of the Act may be considered to be absorbed when export prices of an article from the exporting country or countries decrease post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in cost of production of such article or export prices of such article to

countries other than India or resale price of such article in India imported from the exporting country or countries.”

14. The Authority notes that in an original investigation, the Authority determines individual anti-dumping duty for all cooperating producers as per the response filed by such producers in case such response is considered complete and accurate. Further, the Authority also determines residual duties which are applicable to all non-cooperative and non-participating producers. Hence, there are different anti-dumping duties imposed on different producers in an original investigation. Rule 29 refers to “an” anti-dumping duty imposed on an individual producer under Section 9A.
15. The Authority further notes that the use of “export prices” in Rule 29 has to be interpreted as export prices of various transactions by the same exporter. This is evident from the fact that the interpretation of the word “prices” as prices from multiple exporters will defeat the purpose of a number of provisions under the Anti-Dumping Rules. The “prices” referred to in Rule 29 is in reference to multiple transactions from the same exporter and not transactions from multiple exporters. Since there are a number of export transactions with different prices, the word “prices” has been used in Rule 29. This is also evident from the usage of the word “prices” in Rule 18(3) which refers to “dumped prices”, Annexure I of the Anti-Dumping Rules which refers to “prices” in the context of normal value, which is relevant to individual foreign producer, Para-7 of Annexure I refers to “costs” and “prices” in terms of an individual foreign producer and Annexure II refers to “prices” of a single domestic industry.
16. The Authority further notes that absorption of anti-dumping duty is a producer-specific behaviour which is also dependent upon the amount of anti-dumping duty imposed on such producers. While some of the producers from the subject country may absorb duties, some may refrain from doing so. Since the anti-dumping duty levied on each of the producers is different, there is a high likelihood that the absorption will be different.
17. The Authority notes that the Rules should be interpreted to fulfil the purpose intended by them. Rule 29(3) of the Anti-Dumping Rules states the following:

“(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of anti-absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty”

Rule 2(c) of the Anti-Dumping Rules states as following regarding interested parties.

“(c) “interested party” includes -

- (i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;*
- (ii) the government of the exporting country; and*
- (iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India;”*

In light of Rule 29(3) and Rule 2(c), the Authority notes that any interested party including the foreign producer or exporter of the product can file an application against alleged absorption of anti-dumping duty. In case, it is considered that anti-absorption investigation can be initiated against a subject country, that would render significant portion of Rule 29(3) ineffective. In case of such an interpretation no exporter or foreign producer will file an application against absorption of duties by any other foreign producer/exporter since such an application will lead to initiation of an investigation against the applicant exporter itself. Thus, the interpretation that an anti-absorption investigation can be initiated only against a subject country as a whole is not plausible and such an interpretation defeats the purpose of the Rules.

18. With regard to the submissions that the imposition of duty against a selective exporter is not permitted under Rule 19, the Authority notes that the present investigation is under Rule 29, Rule 30 and Rule 31 of the Anti-Dumping Rules. While Rule 6 is applicable for the present investigation, Rule 19 is not applicable. The anti-dumping duty was imposed on imports of the product under consideration from the subject country on a non-discriminatory basis as per the requirements of Rule 19. Thus, the Authority has already fulfilled the requirements of Rule 19 and the same is not applicable for the present investigation. The Authority also

conducts new shipper review and limited mid-term reviews against an individual producer, thus, there is no bar on conducting an anti-absorption review on an individual producer.

19. The Authority notes that the other interested parties have provided a handbook titled “EC and WTO Anti-Dumping” which states that anti-absorption investigations are against a subject country. The Authority notes that the said handbook and text given in such handbook is not a legal principle but merely an opinion of the authors.
20. The other interested parties have submitted findings of the European Commission and have submitted that such findings show that anti-absorption investigation is against a country as a whole, the Authority notes that there is no denying that an anti-absorption investigation can be initiated against a country as whole. However, such an initiation is possible only in a case where all or at least majority of exporters from the subject country are involved in absorption of anti-dumping duty. There is no bar in the Rules against initiation of an anti-absorption investigation against an individual producer / exporter. In the present case, since the *prima facie* evidence of absorption was available only for an individual producer, the Authority has initiated the case against one producer.
21. With regard to the submissions that the grounds identified by the domestic industry are the subject matter of the mid-term review, the Authority notes that the grounds identified by the domestic industry are also applicable for an anti-absorption investigation. In a situation where re-quantification of duty is warranted on account of absorption by an exporter, the appropriate relief to be sought would be initiation of an anti-absorption investigation. If a mid-term review were to be sought in every case, it would defeat the very purpose of the provisions introduced to address absorption of duty.

E.3. Confidentiality

22. With regard to confidentiality of the information, the Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

E.4. Special circumstances for delay in filing application

24. Rule 29(3) of the Anti-Dumping Rules states as following:

“(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of anti-absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty:

Provided that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the designated Authority may accept an application for such initiation after expiry of the said period of two years:

Provided further that no such application shall be accepted in cases with less than twelve months' period remaining for the anti-dumping duty to expire”

25. The Authority notes that the original anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject country was imposed on 27th March 2021. The applicants have stated the following special circumstances for delay in filing the application:
- Wankai has set up new capacities for the production of the subject goods. Post commencement of such capacities, the producer has started absorbing the anti-dumping duty in force.
 - The imports from Wankai have increased significantly in the period of investigation as compared to 2022-23.
26. The Authority notes that the domestic industry has claimed that there was no absorption of anti-dumping duty by the producer in the past and thus, there was no reason for the domestic industry to approach the Authority for an anti-absorption investigation. The Authority has assessed the volume of imports in the period of investigation and compared it to the previous years.

Particulars	Unit	OI	2020-21	2021-22	2022-23	POI(Ann.)	POI
Imports from Wankai	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	88	140	416	312

As per DG Systems Data

27. The Authority notes that the volume of annualised imports in the period of investigation from Wankai have increased by 197% as compared to 2022-23, 370% when compared to 2021-22 and 311% as compared to 2020-21. Further, the imports have increased by 315% in the current period of investigation as compared to the original investigation.
28. The Authority notes that Wankai has stated that it has not undertaken capacity expansion. However, as per the evidence on record, Wankai has a related party, namely, Chongqing Wankai New Materials Technology Co., Ltd. which is engaged in the production and sales of the product under consideration. As per the evidence on record, Wankai has undertaken capacity expansion in the Chongqing district. The Domestic Industry claims that such capacity expansion is a reason for increased imports from Wankai in the recent period, and why the exporter has resorted to absorption of duty during this period. The exporter has clarified in email dated 18th July 2024, that Chongqing Wankai is a related company which began manufacturing in 2020 and set up production lines with annual capacities of 12,00,000 MT. Thus, the Authority concludes that the exporter has undertaken capacity expansion post-imposition of anti-dumping duty.
29. In view of the same, the Authority notes that the domestic industry has provided sufficient evidence with regard to special circumstances justifying the application for anti-absorption investigation after the expiry of 2 years from the imposition of anti-dumping duty.

E.5. Absorption of anti-dumping duty

30. Rule 29(1) of the Anti-Dumping Rules states as follows:

“RULE 29. Anti-absorption review. - (1) An anti-dumping duty imposed under section 9A of the Act may be considered to be absorbed when export prices of an article from the exporting country or countries decrease post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in cost of production of such article or export prices of such article to countries other than India or resale price of such article in India imported from the exporting country or countries.”

31. The Authority notes that the domestic industry has submitted *prima facie* evidence of a decline in price of imports from Wankai without a commensurate decline in cost of production.

32. The Authority notes that a response has been filed by Wankai New Materials Co. Ltd. As per the evidence on record, Wankai New Materials Co. Ltd. has a related party, namely, Chongqing Wankai New Materials Technology Co., Ltd. which is engaged in production and sales of the product under consideration. However, the related party has failed to file a response in the present investigation. The other interested party have stated that there was no requirement for Chongqing Wankai to file a response in the present investigation as it has not exported the product under consideration directly or indirectly through traders to India and Wankai has not claimed market economy treatment in the present investigation. The Authority notes that the other interested party has stated that Chongqing Wankai is subject to residual duties and the same will prevail post the anti-absorption investigation as well.
33. The Authority further notes that Wankai New Materials Co. Ltd. has submitted that it has made [****MT] of direct exports to India during the period of investigation. It has further stated that the producer has only made direct exports to India and no exports have been made by related or unrelated entities. The Authority has verified the information from DG Systems data and it is seen that a number of unrelated exporters have exported the material with the description WK-801 which is a grade produced by Wankai. The Authority notes that as per DG Systems data ****MT of imports have been made directly from Wankai New Materials Co. Ltd., and **** MT of grade WK-801 has been imported into India from other exporters.
34. Wankai has filed a reply to the deficiencies issued by the Authority. As per the reply by Wankai dated 18th July 2024, the producer has stated that it has not sold the product under consideration to any trader that has exported the product to India. Further, it has stated that WK-801 is a grade used by Wankai for identifying product characteristics. However, WK-801 is not a registered name and is not exclusive brand name of Wankai. The other exporters are free to use the said name for their products as well. Accordingly, the Authority considers only direct exports as reported by the producer in its response to exporter's questionnaire.
35. The Authority notes that PTA and MEG are the major raw material for manufacturing the subject goods. The applicant had provided information as per Trademap data on international prices of PTA and MEG. Based on the information provided by the applicant, it is seen that the prices of both PTA and MEG have declined during the period of investigation as compared to the original period of investigation. The landed price from Wankai has also declined over the said period.

Period	Unit	Landed price	PTA global price	MEG global price	Raw material cost
Oct'18 – Jun'19	US\$/MT	****	1,055	740	1,131
Jan'23 – Sept'23	US\$/MT	****	973	551	999
Change	US\$/MT	(****)	-82	-189	-132
Change	%	(10-20)	-8%	-25%	-12%
Absorption	US\$/MT	****			

**Considering consumption of 0.84 units of PTA and 0.33 units of MEG*

36. It is noted that:
- The raw material cost during the original period of investigation was USD **** per MT and has reduced to USD **** per MT during the current period of investigation.
 - The raw material cost has declined by ****% or USD **** per MT during the current period of investigation as compared to the original period of investigation.
 - The landed price of Wankai has declined by ****% or USD **** per MT during the current period of investigation as compared to the original period of investigation.
37. With regard to the submissions that the absorption should be considered in INR and not USD, the Authority notes that the absorption has been determined and quantified in USD in the present investigation. The Authority notes that using INR is not appropriate as exports have been made by Wankai in USD and not INR and Wankai has realised payment from customers in India in USD and not INR. Thus, for the purpose of determination of absorption of anti-dumping duty, the Authority has considered prices in USD.

38. With regard to the submissions that there is a need to make adjustments for change in ratio of product mix, the Authority notes that there were no PCN determined by the Authority in the original investigation. Since the anti-dumping duty for Wankai were determined on the basis of dumping margin and injury margin without considering product mix, there is no basis for considering the same for absorption of such anti-dumping duty in force.

Determination of dumping margin and injury margin

39. The Authority notes that in the original investigation, China PR was considered as a non-market economy and accordingly, the normal value for producers from China PR was determined as per provisions under Para 7 and 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules.

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated Authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated Authority or by the competent Authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated Authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated Authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has

been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

40. The Authority notes that in the original investigation, the normal value for the producers in China PR was determined on the basis of the price payable in India considering the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits.

41. Rule 29(2) of the Anti-Dumping Rules states as follows:

“(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done”.

42. In accordance with Rule 29(2), the Authority has considered the normal value previously determined for Wankai New Materials Co., Ltd. and duly adjusted the same for necessary changes. The normal value so determined has been given below:

Particulars	Unit	Amount
Constructed Normal Value as per Original Investigation	\$/MT	***
Adjustments in previously determined normal value	\$/MT	(***)
Adjusted Constructed Normal Value	\$/MT	***

43. The Authority has determined the export price for Wankai based on the direct exports reported by the producer in the response filed. The exporter has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges for determination of export price. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

44. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from Wankai has been determined as follows:

Producer	Normal value	Export price	Dumping margin	Dumping margin	Dumping margin
	\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
Wankai New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20%

45. The Authority notes that the non-injurious price of the domestic industry was determined in the original investigation on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration was determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the original period of investigation.

46. In accordance with Section 29(2) of the Anti-Dumping Rules, the Authority has adjusted the non-injurious price of the domestic industry for necessary changes. The Non-Injurious Price determined is given below:

Particulars	Unit	Amount
Non-injurious price as per original investigation	\$/MT	***
Adjustments in previously determined non-injurious price	\$/MT	(***)
Adjusted non-injurious price	\$/MT	***

47. The non-injurious price of the domestic industry so determined has been compared with the landed price of Wankai from the subject country for calculating injury margin.

Producer	Non-injurious price	Landed Price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
	\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
Wankai New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10%

F. POST DISCLOSURE COMMENTS

48. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 5th August 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

F.1. Submissions by other interested parties

49. The other interested parties reiterated their submissions with regard to the scope of review, provisions of Section 9A(1) versus Rule 29(1), reference to country or countries in Rule 29, imposition of duty on a non-discriminatory basis, reiterated reliance on EC and WTO Antidumping Law, meaning of special circumstances, and excessive confidentiality claimed by the domestic industry. Additionally, the following submissions have been made by interested parties.
- The rationale of the decision of the Supreme Court in the case of Bhogilal Chunilal Pandya Vs. The State of Bombay Court has been overlooked. When an anti-dumping investigation is initiated against a country, anti-absorption investigation can also be initiated only against a country.
 - Merely because exporters may have different absorption behaviour, the same is not grounds for investigation against selective exporters. As per the spirit of the law, the allegation of absorption may be against only certain exporters, but the investigation has to be initiated against all exporters.
 - Since normally, the application for absorption of duties would be filed only by the domestic industry, and only in exceptional circumstances by other parties, the provisions of Rule 29(3) are not defeated by interpreting that an anti-absorption investigation can be initiated only against the subject country as a whole. Law cannot be overturned based on remote possibility of difficulty to one party.
 - The quantum of absorption has not been determined by the Authority.
 - In an anti-absorption investigation, the level of duty imposed is decided on the basis of lower of the dumping margin and injury margin which is further subject upto the maximum of 100% of the amount of the absorption of anti-dumping duty. Thus, the maximum duty imposed can be limited to twice the present duties.
 - Increase in imports and increase in capacities can only be examined in mid-term review, and not anti-absorption review which is limited to re-assessment of margins.
 - Capacity of related producer, Chongqing Wankai, cannot be treated as grounds for absorption by Wankai, particularly when the capacity expansion took place 2 years prior to the imposition of duties, and capacities of Wankai are self-sufficient to cater to the Indian demand. Goods produced by Chongqing Wankai cannot be exported by the producer due to residual duty, and cannot be exported by Wankai due to high freight cost.
 - Factors affecting export prices, such as change in product mix, CNY/USD exchange rate depreciation and INR/USD exchange rate have not been examined. Mere decline in prices does not constitute absorption, and other factors impacting prices must be examined.

- i. Non-injurious price, landed price and injury margin should be compared in INR. While it has been considered that dumping margin should be seen in USD, since exporter sells the goods in USD; it has been overlooked that the domestic industry and landed price of imports compete in INR.
- j. Since INR has depreciated over the period, the consideration of non-injurious price in USD and adjustment of raw material cost in USD, has resulted in the resultant non-injurious price in INR being higher than that determined in the original investigation.
- k. The correct average exchange rate applicable for the period is ₹ 83.37 / USD, and not ₹ 83.32 per USD.
- l. Wankai has asked for adjustment for product mix only for purpose of absorption, and not for purpose of determination of margins.
- m. Since the exporter first determines whether the price in CNY is appropriate, and then converts the same into USD, the depreciation of CNY vs. USD is relevant to the exporter.
- n. Normal value for China should be determined based on the cost of production of the exporter.
- o. The adjustments made to normal value and non-injurious price have not been disclosed.

F.2. Submissions by domestic industry

50. The domestic industry has reiterated its submissions with regard to scope of review, significant share of exports of Wankai, imports of product bearing grade WK-801, request for rejection of response filed by Wankai, and in public interest. Additionally, the following submissions have been made by interested parties.
 - a. The exporter has attempted to mislead the investigation by making a fabricated claim that WK-801 can be produced and sold by other producer/exporter and due to this, the volume of subject imports has increased. The grade is a distinctive mark of Wankai, and the imports have been cleared on payment of duty applicable to Wankai.
 - b. There is an increase in the cost of utilities. If the same is considered, the absorption amount would be higher.
 - c. The normal value and non-injurious price should further be adjusted for increase in cost of utilities.
 - d. There is no provision for termination of anti-absorption investigation on grounds of the absorption amount being too low. The quantum of absorption is not relevant in business and economics as well. Since 85-90% of the total cost is raw material cost, even a small decline in price has a significant adverse impact on the exporters.
 - e. There is no demand-supply gap in the country, and the performance of user industry has improved since imposition of duty. Increase in quantum of duty for only one exporter does not affect availability of the goods.
 - f. Owing to the dumping of imports into India, the capacity utilization of the applicant has declined and the plant operations have been rendered unviable.

F.3. Examination by the Authority

51. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
52. With regard to the contention that the provisions of Section 9A can be interpreted to mean only that an investigation can be initiated only against a country, and not an exporter, it is noted that the Authority had previously initiated a mid-term review against certain exporters, in the case of Aluminium Road Wheels from China. Further, investigating authorities in European Union and Türkiye also initiated an investigation against individual exporters, where certain exporters are found not to be dumping in original investigations. Therefore, the initiation of an investigation against individual exporters has not been found incompatible with the provisions of Customs Tariff Act or Anti-Dumping Agreement in the previous investigations. Accordingly,

adoption of the interpretation that an anti-absorption investigation can be initiated against an individual exporter or selective exporters is in compliance with the legal provisions and the practice of the Authority.

53. The Authority considers that, by its very nature, the behaviour of absorption is exporter specific. Once anti-dumping duty is imposed, it is quite likely that some foreign producers resort to absorption, while others do not. Further, even when the original investigation is initiated against a country, the Rules obligate determination of individual dumping margin, which clearly shows that even for original investigation, the Authority is required to determine dumping margin *qua* foreign producers. Similarly, in case of a mid-term review, the Authority can entertain request for review from a particular exporter. The Authority notes in this regard that the behaviour of dumping is exporter specific, and it is for this reason alone that the Rules obligate determination of individual dumping margin. By the same, the behaviour of absorption is producer specific.
54. The fact that it was appropriate to limit the present absorption to individual exporter is established by the very peculiar factual matrix of the present case. DG Systems data shows that 77% of the imports are in the name of Wankai. While Wankai has disputed that its exports are only ***MT (as per its response) and it is open for other Chinese producers to use Wankai grade name and supply the goods, the domestic industry has contended that these goods have been cleared by payment of anti-dumping duty as was applicable to Wankai. Thus, from absorption point of view, if these exports are considered as exports made by Wankai, then, the present investigation includes 77% of total imports into India. If these exports are not considered as exports made by Wankai, then in any case, these are attracting residual duty and need for absorption investigation against such imports is not established. Even then, the direct exports to India, by Wankai, constitute 49% of the total exports to India, as per DG Systems data.
55. The Authority thus does not find merit in the contention that an investigation should be initiated against all exporters, irrespective of whether certain exporters have engaged in absorption or not. The Authority further notes that such an interpretation would tantamount to a situation wherein the Authority would initiate an investigation based on weighted average prices. However, in a situation where only certain exporters may be engaged in absorption, the trend of average prices would be misleading, and may show that no absorption has taken place in a situation where indeed one or more exporters might have absorbed duty. This would make the provision ineffective and incapable of addressing its intended objective. The law cannot be read, interpreted and applied in a manner where it defeats the purpose of the law, rather than meeting its objective. Further, if, alternatively, the Authority considers exporter-wise prices, and initiates investigation against all exporters, including those not found to be absorbing duties, such an initiation itself would be without jurisdiction *qua* the exporters not found to be absorbing the duties.
56. The exporter has also contended that the application for initiation of an anti-absorption investigation would normally be initiated based on application by the domestic industry, and thus, the provisions of Rule 29(3) would not be rendered redundant. However, the Authority notes that even if an application is filed by interested parties in certain circumstances, the provisions have to be read in a manner to allow filing of such application. If the provisions are read in a manner to construe that an application can be filed only against all exporters, an exporter would never be able to file an application for initiation of anti-absorption investigation against other exporters, thereby rendering the provisions ineffective. Further, even an importer would not be able to file an application against imports from a particular exporter, as it would imply an investigation into its own imports as well. The exporter had also emphasized that the opinion of eminent authors of EC and WTO Anti-dumping Law, a handbook cannot be brushed aside. The Authority notes that the opinions have not been summarily brushed aside, but have been duly considered by the Authority. However, any opinion of an author is not binding on the Authority, and has only persuasive value. Therefore, the Authority finds that an anti-absorption investigation can be conducted against a country, individual or selective exporters, depending on facts & circumstances of each case.
57. Contrary to the submissions of the exporter, the Authority has quantified the extent of absorption in the disclosure statement. The Authority notes that it had already disclosed the change in raw material cost, while the landed price was based on the information submitted by the exporter. The landed price considered and the calculation of the quantum of absorption was disclosed to the exporter as well, and the exporter was allowed an opportunity to offer comments.
58. With regard to the contention that the quantum of duty can be limited only to twice the original amount of duty, the Authority notes that the interpretation exceeds the specific legal provision. The Rules clearly require the Authority to determine and recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the

quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury margin. Thus, the Rules clearly require the Authority to reassess the dumping margin and injury margin. Once the Authority has reassessed dumping margin and injury margin, it follows that lower of such dumping margin and injury margin shall become the duty. The Rules do not provide that the Authority should restrict the new anti-dumping duty to the twice the amount of anti-dumping duty earlier applicable.

59. The exporter has also contended that increase in imports and increase in capacities can only be examined in a mid-term review and not anti-absorption investigation. The Authority considers that the two parameters have not been examined to quantify existence of amount of absorption, but have been examined to evaluate whether special circumstances exist to justify acceptance of application post the expiry of two years from the date of imposition of duty.
60. With regard to the contention that the capacity of the related producer, Chongqing Wankai, cannot be treated as grounds for absorption by Wankai, the Authority notes that the increase in capacity by a related producer implies that the total capacity of the two affiliated companies has increased cumulatively. While Chongqing Wankai cannot increase its direct exports to India, being subject to residual duties, the availability of increased capacities with the affiliate implies that such capacities can be utilized to cater to other markets, while capacities of Wankai can be used to increase exports to India. Further, irrespective of the period in which the capacity increased, the volume may show an increase in a subsequent period. The imports from Wankai have shown an increase in the recent period. Wankai has given no explanation for such a significant increase in export volumes and how the exporter has been able to enhance the same on its own without disturbing or distributing its existing business with other Group company.
61. The Authority notes that on one hand, the exporter has conceded that product mix is not required to be considered for determination of dumping margin and injury margin, and on the other hand, it requested for it to be considered for absorption of duties. The same is clearly contradictory, inasmuch as different parameters cannot be applied for decline in export price, and for determination of margins.
62. Further, as stated above, the anti-dumping duty for Wankai were determined on the basis of dumping margin and injury margin without considering product mix. Where the exporter did not contend for consideration of product mix in determination of export price in the original investigation, there is no basis for considering the same for examining absorption of the anti-dumping duty imposed based on such export price in the present investigation.
63. With regard to the contention that decline in export price was on account of depreciation of CNY, the Authority notes that the exporter has provided no evidence to show that it quotes the prices, after consideration of the realization in CNY. On the contrary, from the evidence on record, it appears that all transactions with importers in India are quoted in USD, implying that prices are negotiated in USD. Further, the exporter has also not provided any cogent evidence demonstrating the impact of depreciation of CNY on the export price. It is not sufficient for the exporter to merely cite depreciation of CNY, without providing evidence of the same, or impact thereof on the export price. Moreover, if the exporter considers that the prices should be considered in CNY, then the cost of production is also required to be considered in CNY. It is not possible that while the decline in export price is examined in CNY, the raw material cost is examined in USD, as such an examination would render the figures incomparable. Further, if the exporter is evaluating realizations in CNY, it would naturally be evaluating procurements also in CNY. The Authority notes that the USD/CNY rate was 0.1465 in the original period of investigation, whereas the same is now 0.1412. Consideration of the same provides the trend of landed price and raw material cost as below and would continue to show absorption.

Period	Unit	Landed price	Raw material cost
Oct'18 – Jun'19	CNY/MT	***	***
Jan'23 – Sept'23	CNY/MT	***	***
Change	CNY/MT	(***)	(***)
Change	%	(10-20)%	(0-10)%
Absorption	CNY/MT	(***)	

64. With regard to the depreciation of INR, the same has absolutely no relevance to the determination of absorption. The exporter has itself conceded that it quotes the price in USD, or evaluates the same in CNY.

There is no consideration of the prices in INR, while quoting prices. The price charged by the exporter is in USD. Therefore, the absorption has been correctly evaluated in USD.

65. Wankai has further contended that the non-injurious price should be considered in INR, and the landed price should also be compared in INR for determination of injury margin since the competition in Indian market is in INR. The Authority notes that non-injurious price was actually calculated in INR. Thereafter, the non-injurious price, as calculated in INR, converted into USD. The difference between the two has been considered as the decline on account of raw material cost.
66. The Authority has re-examined the exchange rate considered and found that the exchange rate has been correctly considered as 83.32. It is also noted that the exporter has provided no evidence to support the exchange rate stated by the exporter. The Authority has considered exchange rate on the basis of exchange rates declared by the Customs authorities.
67. With regard to the contention that the Authority has not determined the normal value based on the cost of production of the exporter, it is noted that no market economy treatment has been claimed by the exporter in the present or the original investigation. Therefore, the normal value has been determined in accordance with the provisions of paragraph 7 of Annexure – I in the original investigation. The same has been duly adjusted by the Authority in the present investigation.
68. The exporter has contended that the adjustments made to normal value and non-injurious price have not been disclosed. The Authority notes that the disclosure statement clearly shows that the Authority has considered that there is a change in cost of raw material of the subject goods. Therefore, the adjustment is limited to the change in raw material cost.
69. With regard to the argument that the Authority was required to examine whether there were special circumstances which prevented the domestic industry from filing the application, the Authority notes that the requirement of special circumstances stated by the exporter does not emanate from the provisions of the Anti-Dumping Rules. The Rules merely require that the application should normally be filed within a period of 2 years from the date of imposition of duty. The Authority may, in special circumstances, for reasons to be recorded in writing, accept an application after the expiry of the period of 2 years. Such provisions could not be construed to mean that an application may be accepted after expiry of 2 years only where the special circumstances resulted in the domestic industry being prevented from filing an application earlier. Rather, the provision would appropriately be interpreted to imply that where, based on facts and circumstances, the need for modification of duty arose after the expiry of the period of 2 years, the Authority may accept such application.
70. The domestic industry has emphasized that Wankai has misrepresented that the exports by other exporters, labelled as WK-801 are not goods produced by Wankai. The domestic industry has also highlighted that such goods have been cleared on payment of duties applicable to Wankai. However, the exporter has disputed the same. But Wankai has claimed that the goods have not been produced by them. The Authority notes that collection of anti-dumping duty based on the individual duty margin allowed is beyond the scope of the present investigation or Director General. It is for the Customs authorities to determine correct quantum of duty and charge the same. DGTR is not the appropriate forum in this regard.
71. As regards the contention that the cost of increase in utilities should also be adjusted, the Authority notes that the claim by the domestic industry is belated. The domestic industry has requested for such adjustment post issuance of the disclosure statement. At this stage, it is not possible for the Authority to verify the claims of the domestic industry. Therefore, the Authority does not find it appropriate to make such an adjustment.
72. With regard to the contention of the exporter that non-injurious price as well as normal value should be disclosed to it in order to make appropriate submissions, the Authority notes that normal value determined by the Authority is based on confidential business proprietary data of the domestic industry. Similarly, the non-injurious price of the domestic industry is business confidential information disclosure of which will have significant adverse impact on the domestic industry. Accordingly, both non-injurious price and constructed normal value are not being disclosed in the present investigation.

73. The domestic industry has also made detailed submissions with regard to public interest. However, the Authority finds that the imposition of duty was already found to be in public interest. In such a situation, modification in quantum of duty to offset the absorption of existing anti-dumping duty imposed would not be contrary to public interest. The Authority further notes that there is no demand-supply gap in the country. There is sufficient competition in the domestic market to ensure that the goods are available to customers at competitive prices. Further, none of the users have opposed the proposed modification in the duties in the anti-absorption investigation.

G. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

74. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes as below.
- a. The application for initiation of anti-absorption investigation was filed by IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited as domestic producers of the subject goods.
 - b. The scope of product under consideration is the same as that in the original investigation, that is, “virgin polyethylene terephthalate (PET) resin”, defined as polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher.
 - c. None of the interested parties, including the present exporter, sought differentiation in the grade supplied by the said exporter at the time of original investigation and grades sold by other suppliers. It is inappropriate for the exporter to now contend that it has supplied a grade different from what was sold at the time of original investigation.
 - d. The application was filed and investigation was initiated to examine whether Wankai New Materials Co., Ltd. has engaged in absorption of anti-dumping duty imposed, and if so, to re-quantify the amount of anti-dumping duty after reassessment of normal value and non-injurious price.
 - e. The law does not require that an investigation for absorption of duties be initiated only against the subject country as a whole, and it cannot be initiated against an individual exporter engaged in such absorption. An anti absorption investigation can be initiated either against one or limited exporters, or exporting country as a whole. In a situation where the applicant sought investigation only for one company from China, there is no reason for initiating investigation against entire country. Further, on fact, it was found that about 49% of imports in the present period are by the said exporter, thus establishing appropriateness of limiting investigation only to the said exporter.
 - f. There were sufficient special circumstances warranting acceptance of application after expiry of a period of 2 years from the date of imposition of duty. These special circumstances are established by the enhancement of capacities of an affiliate of Wankai and increase in exports by Wankai.
 - g. The Authority has considered only the direct exports, as reported in the response filed by Wankai New Materials Co., Ltd., for examination of absorption of duty. The Authority considers that the fact that there are significant imports into India, which were described using grade name of the present exporter does not in itself justify inclusion of those exports, particularly when the responding exporter has denied and submitted that these were not their exports. The Authority considers that possible under payment of anti-dumping duty by declaring exports with the description of grade name of the present exporter is beyond the scope and jurisdiction of the DGTR. The domestic industry has other remedy available to it in accordance with various laws in the country.
 - h. While the raw material cost of the product has declined, the decline in the export price of exports by the said exporter is higher.
 - i. The previously determined normal value and non-injurious price have been appropriately adjusted, for comparison to export price and landed price respectively.
 - j. The dumping margin and injury margin determined for the exporter are higher than that determined in the previous investigation.
 - k. The domestic industry contended that whereas raw material costs had declined, the utilities costs had increased, thus showing higher degree of absorption. The Authority has however not accepted the said contention, being significantly belated.

- l. The rules require the Authority to reassess the normal value and non-injurious price, and thereafter compute the new dumping margin and injury margin in order to quantify the fresh amount of anti-dumping duty that should be imposed. The same has been done by the Authority.
 - m. The facts on record clearly establish that the anti-dumping duty in force has been absorbed by the said exporter by reducing the price. The said price reduction is more than what is justified by the decline in costs on account of raw materials.
75. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of absorption. Having initiated and conducted the investigation into absorption of duty by Wankai New Materials Co., Ltd., in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is of the view that modification of anti-dumping duty applicable on Wankai New Materials Co., Ltd. is required. Therefore, the Authority recommends modification of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country by Wankai New Materials Co., Ltd.
76. The Authority recommends modification of the quantum of duty imposed on imports of the subject goods originating or exported from China PR vide Final Findings Notification No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020 and Notification No. 18/2021 – Customs (ADD) dated 27th March 2021, as below. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends modification of definitive antidumping duty based on lesser of margin of dumping and margin of injury, in respect of the exporter subject to the present investigation. As regards exporters not subject to the present investigation, the anti-dumping duty imposed earlier would continue. Accordingly, the definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR, incorporating the above recommendation of the Authority in the instant anti-absorption investigation, shall be as indicated in Col 7 of the duty table below. Such duties shall continue for a period of five years from the date of issuance of Notification No. 18/2021 – Customs (ADD) dated 27th March 2021.

DUTY TABLE

S.N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co., Ltd. / China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd	146.11	MT	USD
2	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Wankai New Materials Co. Ltd.	40.41	MT	USD
3	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of	China PR	China PR	Jiangsu Xingye Plastic Co. Ltd. / Jiangyin	60.92	MT	USD

S.N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
		0.72 decilitres per gram or higher”			Xingyu New Material Co. Ltd. / Jiangsu Sanfame International Trade Co. Ltd.			
4	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Any producer other than producers mentions at serial numbers 1, 2 and 3 Above	200.66	MT	USD
5	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	Any country other than China PR	Any	200.66	MT	USD
6	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	Any Country other than China PR	China PR	Any	200.66	MT	USD

** Bottle-grade PET resin, excluding recycled PET resin*

H. FURTHER PROCEDURE

77. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority